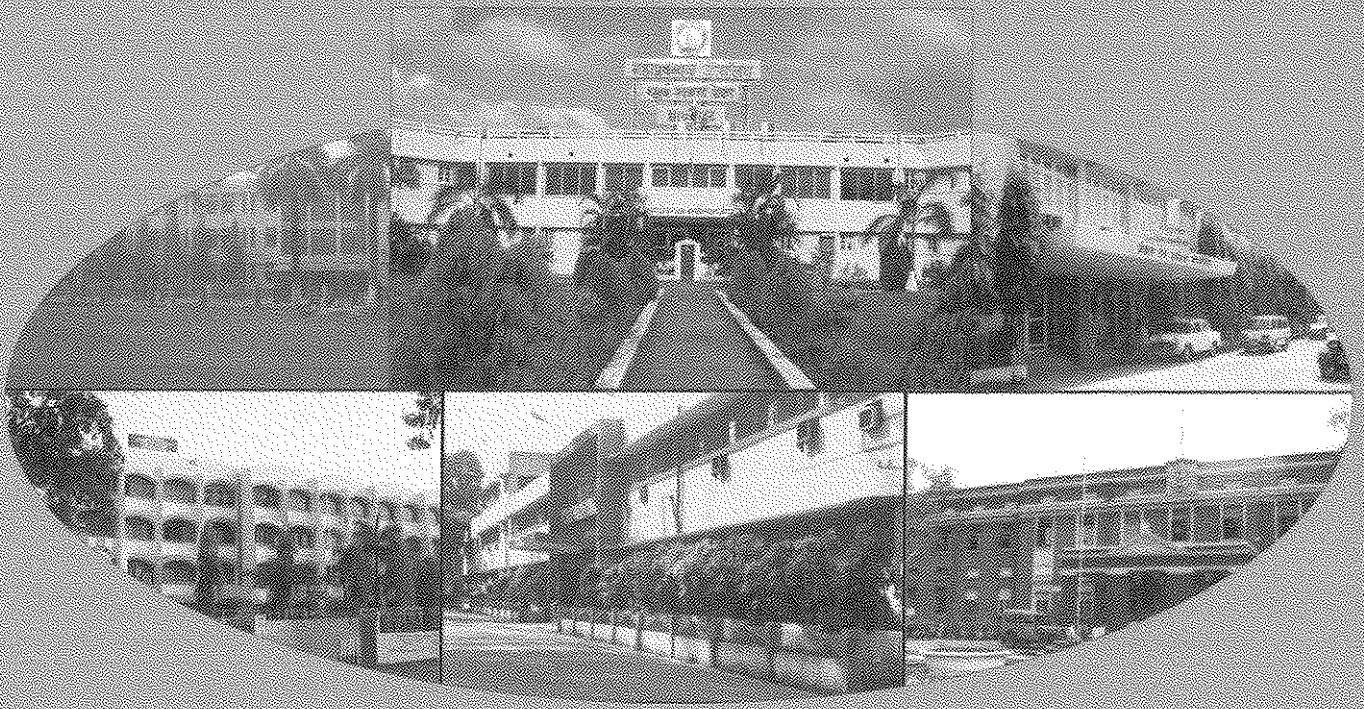


क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति



21.12.2010



पूर्व मध्य रेल

यात्री सेवा एवं विकास के लिए सदा तत्पर



पूर्व मध्य रेल

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति

के

सदस्यों का

हार्दिक अभिनंदन करता है।

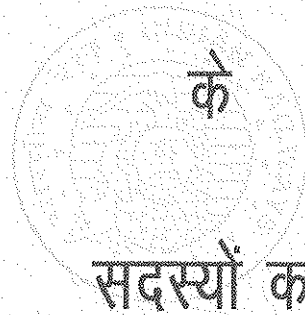
हाजीपुर

दिसम्बर 21, 2010



पूर्व मध्य रेल

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति



सदस्यों का

हार्दिक अभिनंदन करता है।

हाजीपुर

दिसम्बर 21, 2010

पूर्व मध्य रेल
क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य
 अवधि 16.09.2009 से 15.09.2011 तक

क्रम सं०	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
1.	श्री जय किशोर दत्त 301ए, चतुरंग एपार्टमेन्ट, ए.एन.पथ, नार्थ एस. के. पुरी बोरिंग रोड, पटना मो०— 9470001266, 9934067846	राज्य सरकार के प्रतिनिधि	बिहार सरकार
2.	डा० अनुप कुमार केंडिया बसेरा, 101-ए गोसाईबाग, टेकारी रोड, गया मो० — 9430056396	चेम्बर ऑफ कॉमर्स	सेन्ट्रल बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स, गया
3.	श्री सुबोध कुमार जैन मे. एशियन ट्रेडर्स, राजेन्द्र पथ, पटना दूरभाष — 0612-2221391, 2320195 मो०— 9334110115	चेम्बर ऑफ कॉमर्स	बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स पटना
4.	श्री बैधनाथ सिंह 115-बी, शान्ति भवन सेन्टर, बैंक मोड़, धनबाद दूरभाष — 0326-2303020 मो० — 9431121849	इन्डस्ट्रीज एंड कॉमर्स	इन्डस्ट्रीज एंड कॉमर्स एशोशिएसन, धनबाद
5.	श्री देवी लाल छोटी सरैयागंज, मुजफ्फरपुर दूरभाष — 0621-2247000 मो०— 9430474700	ट्रेड एशोशिएसन	जेनरल मचेन्ट एशोशिएसन, मुजफ्फरपुर
6.	श्री मनोज कुमार सिंह ग्राम— चौधाबन्नी, पो. बाबूबगीचा भाया— मानसी, जिला खगड़िया मो०— 9709325196	राज्य सरकार के कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधि	बिहार सरकार

7.	श्री कमलेश्वरी मेहता, ग्राम-किशुनगंज रामबाग पो.-उदाकिशुनगंज जिला-मधेपुरा मो0- 9006792624	राज्य सरकार के कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधि	बिहार सरकार
8.	श्री दुर्गेश कुमार राय द्वारा- श्री मिथलेश कुमार उर्फ भीम सिंह ग्राम -पो0 -मेयारी जिला - समस्तीपुर मो0- 9431425177	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	सोनपुर
9.	श्री गुल्लू अंसारी ग्राम एवं पो. धोरियो मोहबनी थाना- गोबिंदपुर, जिला- धनबाद मो0- 9835158099	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	धनबाद
10.	श्री विधासागर गायधाट दक्षिणी गली, उषा कुंज गुलजारबाग, पटना मो0- 9308635760	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	दानापुर
11.	श्री विनोद गुप्ता स्व0 शिव शंकर प्रसाद वार्ड नं. 19, गोला रोड, पी ओ एवं जिला- समस्तीपुर मो0- 9471042677	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	समस्तीपुर
12.	श्री डॉ.कौशलेन्द्र प्रताप, राठौर भवन, नार्थ मैकलियोड गंज, स्वराजपुरी रोड, गया बिहार, 823001 मो0- 09835269891	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	मुगलसराय
13.	श्री बिनय कुमार डी-4, एन.एच.-4, एन.टी.पी.सी., पो. रिहन्दनगर, जिला-सोनभद्र मध्य प्रदेश दूरभाष - 05446-242894 मो0- 9415122176	पब्लिक सेक्टर	एन.टी.पी.सी./रिहन्द

14.	श्री रंजन कुमार साहा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची दूरभाष — 0651-2360001 मो0— 9431170652	पब्लिक सेक्टर	सी.सी.एल./राँची
15.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन साकेत जी.बी.रोड, गया दूरभाष — 0631-2222777, 2222333 मो0 — 9431224555	रजिस्टर्ड पैसेन्जर एशोशिएसन	ग्रेन्ड कार्ड पैसेन्जर एशोशिएसन, गया
16.	श्री गोविन्द प्रसाद केजरीवाल केजरीवाल एंड कम्पनी सुतापट्टी, मुजफ्फरपुर दूरभाष — 0621-2243151 मो0 — 9431238678	रजिस्टर्ड पैसेन्जर एशोशिएसन	नॉर्थ बिहार डेवेलर एशोशिएसन, मुजफ्फरपुर
17.	श्री योगेन्द्र प्र. सिंह पो. भगवानपुर, जि. वैशाली मो — 09304620729	रजिस्टर्ड पैसेन्जर एशोशिएसन	दैनिक यात्री संघ, भगवानपुर वैशाली
18.	श्री रोहन लाल मेहता रोहित चित मन्दिर, थाना चौक, डेहरी ऑन सोन, रोहतास दूरभाष — 06184-250722 मो0— 9431465812	केन्द्रिय मंत्री द्वारा मनोनीत	श्रीमती मीरा कुमार, माननीय लोक सभा अध्यक्षा
19.	श्री कुमुद वर्मा वरिष्ठ पत्रकार, टाइम्स ऑफ इन्डिया, पटना दूरभाष — 0612-2252584 मो0 — 9835052496	महाप्रबंधक के विशेष रुचि	महाप्रबंधक के विशेष रुचि
20.	मो0 कादिर हुसैन हाजी-लॉज, ग्राम-पोस्ट श्रीरामपुर, तोप चॉची, जिला धनबाद दूरभाष — मो0— 9973848530, 9973848532	रेल मंत्री का विशेष रुचि	रेल मंत्री का विशेष रुचि

21.	श्री पं. राजेश शुक्ला टिल्लू हीरानन्द साह लेन चौक, पटना सिटी पटना दूरभाष — 0612-2642111 मो0 — 9431014654	रेल मंत्री का विशेष रुचि	रेल मंत्री का विशेष रुचि
22.	श्री मनीष कुमार प्रेम निवास, सुभाषनगर गली नं.-7 पो. डालमीयानगर, था.- डिहरी जिला- रोहतास मो0- 9334950704	रेल मंत्री का विशेष रुचि	रेल मंत्री का विशेष रुचि
23.	श्री अभिषेक गुप्ता मुहल्ला-बनियाँपट्टी, पो-मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण मो0- 9934002265	रेल मंत्री का विशेष रुचि	रेल मंत्री का विशेष रुचि
24.	श्री बिक्रम पाण्डेय मेन रोड, फुसरो पो- फुसरो बाजार जिला-बोकारो मो0- 09431128604	रेल मंत्री का विशेष रुचि	रेल मंत्री का विशेष रुचि
25.	श्री आर०यू०सिंह 1, आई.ए.एस कालोनी, किदवईपुरी, पटना मो0- 9431021508	रेल मंत्री का विशेष रुचि	रेल मंत्री का विशेष रुचि

पूर्व मध्य रेल के विभागाध्यक्ष

श्री के. के. श्रीवास्तव — महाप्रबंधक सह अध्यक्ष / जेड.आर.यू.सी.सी.
श्री ए. के. झा — उप महाप्रबंधक (सा.) सह सचिव / जेड.आर.यू.सी.सी.

मुख्यालय

क्रम सं०	नाम	पद
1.	श्री जी. एस. तिवारी	प्रमुख मुख्य अभियन्ता
2.	श्री वी. के. तिवारी	मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
3.	श्री मधुरेश कुमार	मु.प्र.अधिकारी / निर्माण / द०
4.	श्री प्रमोद कुमार	मु.प्र.अधिकारी / निर्माण / उ०
5.	श्री आर.एस.पाण्डेय	मुख्य परिचालन प्रबंधक
6.	श्री आर. के. सिंह	मुख्य विद्युत अभियन्ता
7.	श्री नीरज सिन्हा	मुख्य सुरक्षा आयुक्त
8.	श्री के. पी. राव	मुख्य यांत्रिक अभियन्ता
9.	श्री बी. राय	वित्तसलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
10.	श्री आर. सिंह	भंडार नियंत्रक
11.	श्री एच० के० अग्रवाल	मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार अभियन्ता
12.	श्री नरेन्द्र कुमार	वरीय उप महाप्रबंधक
13.	श्री जे. एस. पी. सिंह	मुख्य कार्मिक अधिकारी
14.	डा० यू० सिंह	मुख्य चिकित्सा निदेशक
15.	श्री दीपक छावड़ा	मुख्य संरक्षा अधिकारी
16.	श्री दिलीप कुमार	मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी

मंडल

17.	श्री आर. के. अग्रवाल	मंडल रेल प्रबंधक / सोनपुर
18.	श्री सत्य प्रकाश त्रिवेदी	मंडल रेल प्रबंधक / समस्तीपुर
19.	श्री ज्ञान प्रकाश	मंडल रेल प्रबंधक / दानापुर
20.	श्री ए. एस. उपाध्याय	मंडल रेल प्रबंधक / धनबाद
21.	श्री डी. के. गायन	मंडल रेल प्रबंधक / मुगलसराय

पूर्व मध्य रेल : एक परिचय

जिला — वैशाली, हाजीपुर — 844101
(बिहार)

भारतीय रेल के नवसृजित क्षेत्रीय रेलों में से एक पूर्व मध्य रेल की स्थापना 01 अक्टूबर, 2002 को हुई। इसके अंतर्गत 05 मंडल आते हैं यथा — सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय एवं धनबाद। यह मुख्यतया बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के 2980 वर्ग किलोमीटरमें फैली हुई है।

वर्ष 2009-10 में परिसम्पत्ति, अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन		
	योजना परिव्यय (करोड़ में)	
	2008-09	2009-10
नई लाइन (निर्माण)	322.00	321.42
खराब लाइनों का पुनर्निर्माण	5.00	5.00
आमान परिवर्तन	140.00	110.10
दोहरीकरण	106.01	85.58
रेल पथ सुविधा — यार्ड पुनर्निर्माण एवं अन्य	73.42	69.99
कंप्यूटरीकरण	9.57	10.70
चल स्टॉक	5.52	14.33
संरक्षा		
समपार फाटक	42.14	40.00
रेल पथ नवीकरण	225.00	347.68
पुल कार्य	136.33	63.71
सिगनलिंग एवं दूरसंचार कार्य	96.87	60.58
अन्य विद्युतीय कार्य	14.65	13.9
मशीन एवं संयंत्र	7.82	8.87
उत्पादन इकाई सहित कारखाना	438.56	847.81
यात्री सुविधाएँ	71.93	37.63
कुल	1834.81	2108.42

वर्ष 2009-10 के लिए योजनाएँ

रेल ने वर्ष 2009-10 में पूर्व मध्य रेल को कैपिटल निवेश के लिए रु. 2108.42 करोड़ आवंटित किया है। प्रमुख निवेश शीर्षों में रु. 517.10 करोड़ की लागत से नई लाइनों का निर्माण, आमान परिवर्तन एवं दोहरीकरण कार्य शामिल है जो कुल योजना निवेश का लगभग 24.51 % है। रेल पथ नवीकरण को भी उच्च प्राथमिकता देते हुए इस शीर्ष में रु. 347.68 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पुल संबंधी कार्य तथा सिगनल एवं दूरसंचार को भी उच्च प्राथमिकता दी गयी है तथा क्रमशः रु. 63.71 करोड़ एवं रु. 60.58 करोड़ का आवंटन किया गया है।

रूट किलोमीटर एवं विद्युतीकरण

गेज	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	कुल ट्रैक किलोमीटर
बी.जी. एवं एम.जी.	3556.778	5136.236	7644.605
विद्युतीकरण	1407.827	3758.3447	

सामग्री वार माल-भाड़ा लक्ष्य

सामग्री	2009-2010 (ऑकड़े मिट्रिक टन में)
कोयला	73.00
पी. ओ. एल.	01.30
आरएमएसपी	0.39
सीमेन्ट	1.00
खाद	0.01
अन्य	05.409
कुल	81.00

मंडल

दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर

कारखाना

- समस्तीपुर कारखाना/समस्तीपुर
- इंजीनियरिंग एवं पुल कारखाना/मुगलसराय
- फ्लश बट वेल्डिंग प्लांट/मुगलसराय
- ट्रैक मशीन शॉप/मुगलसराय

मंडल

दानापुर मंडल

दानापुर, बिहार

भारत सरकार द्वारा ईस्ट इंडियन रेलवे के अधिग्रहण के पश्चात 1925 ई. में दानापुर मंडल अस्तित्व में आया। झांझा और मुगलसराय के बीच मेन लाईन का निर्माण ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा 1862 ई. में कराया गया था। इसके पश्चात किऊल-गया और पटना-गया लाईन इसमें शामिल किए गए। 1978 में दानापुर मंडल का विभाजन दानापुर और मुगलसराय मंडल के रूप में किया गया।

सेवित क्षेत्र

दानापुर मंडल द्वारा बिहार के 11 जिले और उत्तर प्रदेश के 03 जिले सेवित हैं। इसका विस्तार मुगलसराय से (मुगलसराय स्टेशन छोड़कर) झांझा, पटना से गया (गया स्टेशन छोड़कर), फतुहा से इस्लामपुर, बखियारपुर से राजगीर, हाथीदा से बरौनी (बरौनी स्टेशन छोड़कर), किऊल से मानपुर (मानपुर स्टेशन छोड़कर) और दिलदारनगर से ताड़ीघाट तक है।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

		विद्युतीकरण	
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
780.491	1569.087	485	1271.27

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	07
ब्लॉक स्टेशन	:	74
हॉल्ट स्टेशन	:	117
फ्लैग स्टेशन	:	14

सेवित उद्योग

भारत वैगन (मोकामा) और विभिन्न स्थलों के एफ.सी.आई. के गोदाम इस मंडल द्वारा सेवित हैं।

गुड्स शेड

फतुहा, जमुई, किऊल, लखीसराय, जहानाबाद, आरा, वारसलीगंज, बिहारशरीफ, बक्सर, दानापुर और शेखपुरा।

धनबाद मंडल

धनबाद, झारखंड

सेवित क्षेत्र :

झारखंड में धनबाद, हजारीबाग, राँची, बोकारो, कोडरमा, पलामू, लातेहार, गढ़वा और गिरिडीह, बिहार में नवादा और गया, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मध्य प्रदेश में सिधी जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

		विद्युतीकरण	
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
866.840	2384.73	598.00	1526.00

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन

: 07

ब्लॉक स्टेशन

: 88

हॉल्ट स्टेशन

: 28

सेवित उद्योग

बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. एवं एन.सी.एल. के कोल फिल्ड, टिस्को का वेस्ट बोकारो कोल वाशरी, टिस्को का चासनाला कोलियरी, सी.टी.पी.एस., बी.टी.पी.एस., ए.टी.पी.एस., ओ.टी.पी.एस, एस.एस.टी.पी.पी., वी.एस.टी.पी.पी. और आर.एच.एस.टी.पी.पी. के पावर हाउस, सिन्दरी स्थित ए. सी.सी. सीमेंट फैक्टरी, रेणुकूट स्थित हिंडालकों, रेणुकूट स्थित कानोरिया केमिकल्स, गढ़वा रोड स्थित बिड़ला केमिकल, पी.डी.एल.एफ. का डाला, पी.सी.डब्लू. पाथरडिह, डी.सी.डब्लू. दुगधा, खेलाड़ी सिमेन्ट फैक्ट्री।

गुड्स शेड

धनबाद, हजारीबाग रोड, कोडरमा, राँची रोड, बरकाकाना, डाल्टेनगंज, टोरी, रिचुगुटा, सिंगरौली, बिल्ली, महदीया, पतरातु एवं भुड़कुण्डा।

मुगलसराय मंडल

मुगलसराय - 232101

उत्तर प्रदेश

मानपुर-मुगलसराय सेक्शन इस महाद्वीप का व्यवस्तम माल परिवहन करने वाला ग्रैंड कॉर्ड के नाम से विख्यात रेल मार्ग का एक भाग है। मुगलसराय-हावड़ा मार्ग पर सोन नदी पर 3 किलोमीटर लंबा बृहत्तम रेल सेतु है। 1878 ई. में स्थापित रेलवे इंटर कॉलेज, मुगलसराय एक प्राचीनतम शैक्षणिक संस्था है।

सेवित क्षेत्र :

बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया, झारखंड में पलामू और उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

विद्युतीकरण			
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
415.045	856.315	308.3	748

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	05
ब्लॉक स्टेशन	:	43
हॉल्ट स्टेशन	:	29

सेवित उद्योग

यह मंडल डेहरी-ऑन-सोन स्थित कल्याणपुर सीमेंट तथा पायराइट्स एण्ड फासफेट लिमिटेड को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

लोको शेड

धारण क्षमता

विद्युत लोको शेड, मुगलसराय	147
डीजल लोको शेड, मुगलसराय	53

गुड्स शेड

गया, मानपुर, अनुग्रहनारायणरोड, सोननगर, नबीनगर, रफीगंज, डेहरी-ऑन-सोन, सासाराम, भभुआ रोड, मुगलसराय माल प्रचालन टर्मिनल हैं।

समस्तीपुर मंडल

समस्तीपुर —848101
बिहार

सेवित क्षेत्र :

समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दौरम मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णियां, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया और अररिया।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

गेज	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
बी.जी.	600.46	600.46
एम.जी.	466.96	466.96

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	09
ब्लॉक स्टेशन	:	98
हॉल्ट स्टेशन	:	67
फ्लैग स्टेशन	:	18

सेवित उद्योग

यह मंडल मुक्तापुर जूट मिल, हरिनगर चीनी मिल, नरकटियागंज चीनी मिल एवं हसनपुर चीनी मिल को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

गुड्स शेड

लहेरियासराय, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, मोतिहारी, बेतिया, चकिया, सहरसा, कौंटी, थलवारा, खजौली, हरिनगर, नरकटियागंज एवं हसनपुर।

सोनपुर मंडल

सोनपुर - 841101
बिहार

सेवित क्षेत्र :

बिहार का छपरा (सारण), वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगुसराय, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

विद्युतीकरण			
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
469.683	992.465	214	312

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	06
ब्लॉक स्टेशन	:	54
हॉल्ट स्टेशन	:	24
फ्लैग स्टेशन	:	05

सेवित उद्योग

यह मंडल मुजफ्फरपुर के निकट कांटी विजली उत्पादन निगम लि०, बरौनी के निकट बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी बरौनी, मुजफ्फरपुर स्थित भारत वैगन इंजीनियरी लिमिटेड, एफ.सी.आई.साईडिंग एंव वी.पी.सी.एल. साईडिंग को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

गुड्स शेड

सोनपुर, सराय, नारायणपुर अनंत, बरौनी, खगड़िया, कपूर्सी ग्राम, बेगुसराय, नवगछिया, मानसी, कुर्सेला एंव सेमापुर।

यात्री सुविधाओं एवं परिचालन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

- पूर्व मध्य रेल पर 158 कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 306 स्टेशनों पर यू.टी.एस. उपलब्ध हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 31 स्टेशनों पर यू.टी.एस. सह पी.आर.एस. उपलब्ध हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 2009-10 में प्रतिदिन लगभग 240 माल गाड़ियाँ चली थी और 2010-11 में (नवम्बर-2010तक) करीब 212 मालगाड़ियाँ प्रतिदिन चली हैं।
- पूर्व मध्य रेल में माल लदान भारतीय रेल के कुल माल लदान का 9.43 प्रतिशत है और भारतीय रेल में पूर्व मध्य रेल का स्थान 5वाँ है।
- पूर्व मध्य रेल पर कोयले का लदान भारतीय रेल पर कोयले के लदान का 18.80 प्रतिशत है और भारतीय रेल में पूर्व मध्य रेल का स्थान दूसरा है।

यात्री भीड़-भाड़ का निपटान

अतिरिक्त कोच

पूर्व मध्य रेल में विभिन्न श्रेणियों में 2010-2011 में (05.12.2010तक) कुल 1856 अतिरिक्त कोच लगाये गये।

अतिरिक्त सीटें/बर्थ

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़-भाड़ का निपटान करने हेतु 2010-2011 में (05.12.2010तक) लगभग 1,20,640 अतिरिक्त सीटें/बर्थ की व्यवस्था की गई।

विशेष रेलगाड़ियाँ

पूर्व मध्य रेल द्वारा ग्रीष्मकाल एवं त्यौहारों के अवसर पर 2010-11 में (30.11.2010 तक) 20 ग्रीष्मकालिन विशेष रेलगाड़ियों एवं 18 पूजा विशेष रेलगाड़ियों के द्वारा क्रमशः 269 तथा 143 फेरे लगाये गये।

सवारी गाड़ी के परिचालन की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं

	विवरण	पूर्व मध्य रेल की स्थापना से
1.	नई गाड़ियों का आरंभ	122 जोड़ी
2.	गाड़ी सेवाओं का विस्तार	66 जोड़ी
3.	गाड़ियों के फेरों में वृद्धि	07 जोड़ी
4.	विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों का ठहराव	572
5.	नये हाल्ट	114

यात्री विवरण

2010-11 (नवम्बर 2010तक)

प्रतिदिन यात्रियों की औसत संख्या	6.88 लाख
उपनगरीय	शून्य
गैर-उपनगरीय	6.88 लाख
यात्रियों की कुल संख्या	16.79करोड
उपनगरीय	शून्य
गैर-उपनगरीय	16.79करोड

यात्री आय

अन्तर (रु. करोड़ में)

2008-09	1132.55	101.52 (9.84 %)
2009-10	1237.39	104.84 (9.25 %)
2010-11 (नवम्बर 2010तक)	905.26	51.70 (6.06 %)

माल-भाड़ा आय

अन्तर (रु. करोड़ में)

2008-09	4278.24	437.68 (11.40 %)
2009-19	4777.82	499.58 (11.68 %)
2010-11 (नवम्बर 2010तक)	3463.50	397.46 (12.96 %)

सकल आय

अन्तर (रु. करोड़ में)

2008-09	5493.94	545.61 (11.02 %)
2009-10	6113.88	619.94 (11.28 %)
2010-11 (नवम्बर 2010तक)	4433.68	457.55 (11.51 %)

यात्री वृद्धि

(आंकड़े करोड़ में)

शीर्ष	वार्षिक		
	2008-09	2009-10	2010-11(नवम्बर 2010तक)
यात्रियों की कुल संख्या	23.22	24.98	16.79
गत वर्ष से अन्तर(%में)	12.11 %	7.57 %	- 2.79 %

यात्री सुविधाओं पर किया गया व्यय

वर्ष	व्यय
2008-09	23.29 करोड़
2009-10	33.17 करोड़
2010-11	28.40 (नवम्बर 2010 तक)

माल-भाड़ा तुलनात्मक लदान

(मिलियन टन में)

शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11
कोयला	70.02	72.54	51.15
अन्य सामग्री	6.68	6.62	5.12
कुल	76.70	79.16	56.27
गत वर्ष से हुई वृद्धि	3.81 %	3.20 %	11.53 %

सफाई

यह पूर्व मध्य रेल का उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर अपर महाप्रबंधक एवं मंडल स्तर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा की जाती है।

- स्टेशनों पर सफाई के स्तर को बढ़ाने के लिए 'ए-1' श्रेणी के 03, 'ए' श्रेणी के 22, 'बी' श्रेणी के 29, 'डी' श्रेणी के 22 एवं 'ई' श्रेणी के 09 स्टेशनों पर सफाई की जिम्मेवारी निजी एजेंसियों को दी गयी है।
- पूर्व मध्य रेल पर सफाई कार्य के पर्यवेक्षण के लिए सफाई निरीक्षक के 31 पदों के अतिरिक्त 40 नये पद स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही सफाई पर्यवेक्षक के पूर्व के 16 पदों के अतिरिक्त 17 नये पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है।
- क्लीन ट्रेन सर्विस योजना के अंतर्गत बरौनी एवं मुगलसराय स्टेशनों से गुजरने वाली कमशः 22 एवं 61 ट्रेनों के दरवाजे एवं शौचालयों के अतिरिक्त वातानुकूल कोचों की खिड़कियों के शीशे की सफाई की जाती है।
- पूर्व मध्य रेल की 17 जोड़ी ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग योजना के अंतर्गत सफाई कार्य का ठेका निजी एजेंसियों को प्रदान किया गया है।
- पूर्व मध्य रेल के 71 स्टेशनों पर पे एण्ड यूज शौचालयों की व्यवस्था की गयी है जिनमें दो स्टेशनों (हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर) पर पे एण्ड यूज शौचालयों के अतिरिक्त डिलक्स शौचालयों की भी व्यवस्था की गयी है।
- कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बल प्रदान करने एवं इस अभियान को सफल बनाने के लिए रेल उपयोगकर्ताओं से और सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है।

न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था

पूर्व मध्य रेल में स्थित 681 स्टेशनों में न्यूनतम बुनियादी सुविधा उपलब्ध है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

- 'ए-1' एवं 'ए' श्रेणी के सभी स्टेशनों पर उपलब्ध हैं।
- 'बी' श्रेणी के स्टेशनों पर भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर काम चल रहा है।

24-कोच की लम्बाई वाले प्लेटफार्म

- लम्बी गाड़ियों को चलाने के लिए पूर्व मध्य रेल के कुल 66 स्टेशनों के 141 प्लेटफार्मों को विस्तारित कर 24 कोच क्षमता का बना दिया गया है।

वर्ष 2009-10 में निर्माण विभाग की कुछ उपलब्धियाँ

1. यातायात सुविधा

- गढपुरा कासिंग स्टेशन का कार्य पूर्ण कर यात्री सुविधा के लिए चालू कर दिया गया है, इसके साथ ही समस्तीपुर-खगड़िया स्टेशन के सभी काँसिंग स्टेशनों का कार्य पूर्ण कर यात्री सुविधा के लिए चालू कर दिया गया है।
- मोहम्मदपुर काँसिंग स्टेशन का कार्य पूर्ण कर यात्री सुविधा के लिए खोल दिया गया है।
- सीतामढ़ी स्टेशन का निर्माण पूर्ण कर यात्री सुविधा के लिए खोल दिया गया है।

2. नई लाइन : बिरौल— कुशेश्वरस्थान 16 किमी एवं रूनीसैदपुर जुब्बासहनी 30 किमी। ये दोनों खण्ड वित्त वर्ष 2010-11 में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। बिरौल— कुशेश्वरस्थान एवं रूनीसैदपुर—जुब्बासहनी का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

3. दोहरीकरण: करहागोला—कुरसेला 16 किमी एवं बेगुसराय—खगड़िया 13 किमी। ये दोनों खण्ड वित्त वर्ष 2010-11 में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। करहागोला—कुरसेला खण्ड का 74 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बेगुसराय—खगड़िया का 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका तथा बेगुसराय से लाखों 7 किमी खण्ड का कार्य पूर्ण कर गुड्स देन साइडिंग के लिए खोला जा चुका है।

4. अमान परिवर्तन: सीतामढी- बैरगनिया 28 किमी। इस खण्ड का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सी.आर.एस. पेपर भेजा जा चुका है एवं इस खण्ड को बैलास्ट साइडिंग के लिए खोला जा चुका है।

5. निम्नलिखित उपरीगामी पुल वित्त वर्ष 2010-11 में पूर्ण किये गये:

- सचिवालय-फुलवारीशरीफ(बिहार) दिनांक 29.06.2010 को यातायात के लिए खोल दिया गया है।
- अगम कुआँ (बिहार) दिनांक 29.06.2010 को यातायात के लिए खोल दिया गया है।
- चुकती (बिहार) रेलवे हिस्से का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

6. कारखाना

- सी काटेगरी वैगन वर्कशॉप रिपेयर, समस्तीपुर को वित्त वर्ष 2010-11 में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसका 92 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- डीजल शेड, समस्तीपुर को वित्त वर्ष 2010-11 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। 24 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- वाशिंग पीट जयनगर को वित्त वर्ष 2010-11 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- बीजी कोच मेंटेनश सुविधा , सहरसा का 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7. पूल निर्माण

- सीतामढी-बैरगनिया में 12 छोटे पुल (पुल सं0 64,65,70,72,73,74,75,76,77,89,86 एवं 87) एवं बैरगनिया- रक्सौल में 02 छोटे पुल (पुल सं0 16 एवं 17) का कार्य पूर्ण किया गया है।
- सीतामढी-बैरगनिया में 8 बड़े पुल (पुल सं0 63,72ए,81,82,84,85,78, एवं 78ए) एवं बैरगनिया- रक्सौल में 1 बड़े (पुल सं0-18) का कार्य पूर्ण किया गया।
- चेंज ऑफ गर्डर : पुल सं0 88,90,91ए एवं 91बी का गर्डर चेंज किया गया।
- स्टैथलिंग ऑफ गर्डर : पुल सं 89 के गर्डर का स्टैथनिंग किया गया है।

1+ - हो गया है 110
 + - हो गया है 33
 - - नहीं हुआ है 4

दिनांक 26.05.2010 को पूर्व मध्य रेल में आयोजित जेडआरयूसीसी की बैठक के कार्यवृत्त पर विभागीय टिप्पणी। 151 (कुल)

1.0	श्री जय किशोर दत्त	
1.1	जिस अनुपात में ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है क्या उस दबाव को झेलने की क्षमता हमारे ट्रैक में है या नहीं। इस ओर ध्यान दिया जाए।	ट्रैक का रख-रखाव एवं बदलाव का संबंध जीएमटी से है। ट्रेनों के बढ़ने से जीएमटी और तदनुसार रख-रखाव एवं बदलाव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वर्तमान में ट्रैक स्ट्रक्चर CC+8+2 के अनुसार है।
2.0	श्री सुबोध कुमार जैन	
2.1	रेलवे द्वारा लम्बी दूरी के कुछ गाड़ियों में चिकित्सक एवं प्राथमिक उपचार बॉक्स की व्यवस्था की गयी है। इसकी सूचना गाड़ी के हर बांगी के यात्रियों को दी जानी चाहिए।	पूमरे की किसी ट्रेन में चिकित्सक की व्यवस्था नहीं की गयी है। प्राथमिक उपचार बॉक्स की व्यवस्था की गयी है जो ट्रेन गार्ड के पास उपलब्ध होता है। इसकी सूचना ट्रेन में उचित स्थान पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जा रही है।
2.2	दानापुर मंडल में डीआरयूसीसी के गठन के कई माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इसकी एक भी बैठक नहीं हुई है।	दानापुर मंडल में डीआरयूसीसी की बैठक दि. 09.09. 2010 को हुआ है।
2.3	पूर्व मध्य रेल में स्टेशन परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाना चाहिए।	इस संबंध में सभी मंडलों को निर्देश दे दिया गया है।
2.4	पटना से नई दिल्ली के बीच दूरतो ट्रेन चलाने हेतु चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने स्तर से अनुरोध किया है। मेरा अनुरोध है कि इसे महाप्रबंधक स्तर से भी अनुशंसा की जानी चाहिए।	पटना-नई दिल्ली के बीच दूरतो ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बोर्ड से वार्ता की गई थी। लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।
2.5	यात्रियों की उपयोगिता हेतु रेलवे द्वारा आयोजित बैठकों में डीआरयूसीसी एवं जेडआरयूसीसी के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।	इस पर विचार किया जा रहा है।
2.6	सभी प्रमुख गाड़ियों के वातानुकूलित बोगियों में यात्रियों को आगामी स्टेशन की जानकारी हेतु डिसप्ले सिस्टम लगाया जाना चाहिए।	इस मद हेतु वाणिज्य विभाग द्वारा कार्य को प्लान हेड-53 में स्वीकृत करने के पश्चात् सिगनल एवं दूरसंचार विभाग द्वारा कार्य सम्पादित किया जाएगा।
2.7	पटना जंक्शन के साथ-साथ अन्य प्रमुख स्टेशनों के अनाउन्समेंट सिस्टम को और बेहतर बनाया जाए।	पटना जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर उद्घोषणा प्रणाली की समुचित व्यवस्था है। अन्य स्टेशनों पर माईको कंट्रोलर आधारित उद्घोषणा प्रणाली की निर्धारित आयु पूर्ण होने पर इनके एवज में कम्प्यूटरीकृत उद्घोषणा प्रणाली लगाये जाने हेतु प्रस्ताव को DRM's LSG 10-11 (DRF/PH-53) के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं इसे 31.02.2011 तक पूर्ण करा लिया जाएगा।
2.8	पटना जंक्शन के पार्किंग स्थल पर काफी अनियमितताएँ हैं, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। पार्किंग चार्ज का भी पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता है। पार्किंग स्थल के 80 प्रतिशत भाग साधारण पार्किंग के लिए	पटना जं. के पार्किंग स्थल के नये टेंडर में की गयी व्यवस्था के अनुसार पूरे भाग को एक ही कोटि में रखा गया है। इसमें कोई भाग साधारण और कोई भाग स्पेशल पार्किंग के लिए वर्णकित नहीं किया गया है। नये पार्किंग ठेकेदार को निर्देश दिया जाएगा कि

	आवंटित किया जाए तथा 20 प्रतिशत भाग के लिए ही स्पेशल दर निर्धारित किया जाना चाहिए। पार्किंग चार्ज का बोर्ड इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए कि किसी प्रकार की दुविधा न रहे। कांट्रैक्टर का नाम तथा मोबाईल नंबर का बोर्ड लगाया जाना चाहिए तथा उनके स्टाफ को बैज/बैच लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए।	वे अपने कर्मचारी को वर्दी एवं बैज में रखें तथा पार्किंग दर का बोर्ड लगावें।	
2.9	पटना जंक्शन में स्थापित कोच इंडिकेटिंग सिस्टम कई बार काम नहीं करता है। इस प्रणाली को और बेहतर एवं कारगर बनाया जाए।	पटना जं० से स्थापित कोच इंडिकेशन सिस्टम को बेहतर और कारगर बनाया गया है।	++
2.10	पटना जंक्शन के आरक्षण काउन्टर पर जाने हेतु नीचे के मुख्य द्वार को काउन्टर खुलने से कम से कम एक घंटा पहले खोला जाना चाहिए ताकि अफरा-तफरी की स्थिति न हो। सामान्य टिकट काउन्टर पर भी यात्रियों को टिकट लेने में हो रही कठिनाइयों को दूर किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी बुकिंग काउन्टर एक साथ कार्यरत रहे।	प्रस्ताव को लागू करने हेतु समीक्षा की जा रही है।	+
2.11	पटना जंक्शन को हाजीपुर से यूटी0एस0 प्रणाली से जोड़ने की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बहुत पुरानी मॉग है परंतु इस संबंध में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।	पटना जं० के यूटी.एस. सिस्टम को हाजीपुर से जोड़ दिया गया है।	++
2.12	हाजीपुर जंक्शन में टिकट बुकिंग काउन्टर की स्थिति बहुत ही दयनीय है अतः काउन्टरों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ अपेक्षित सुधार किया जाए।	स्थिति में सुधार की गयी है। काउन्टर की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।	++
2.13	पटना-गया रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्यों में आने वाले व्यवधानों को शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाए।	तरेगना-जहानाबाद खंड का दोहरीकरण कार्य अक्टूबर 2010 में कर दिया गया एवं बेला-जहानाबाद खंड का दोहरीकरण कार्य लगभग मार्च 2011 में पूरा कर लिया जायेगा।	++
2.14	दीघा-पहलेजा रेल पुल को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराया जाए।	दीघा-पहलेजा के बीच गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल का कार्य पूरे जोर-शोर से प्रगति पर है। सबस्ट्रक्चर (पायों) का कार्य पूर्ण हो गया है, गार्डर लॉचिंग का कार्य दीघा (पटना) साईड से शुरू हो चुका है और इस पुल को लगभग दिसम्बर 2012 तक पूरा कर लिया जायेगा।	+
2.15	लगातार विलंब को देखते हुए मगध एक्सप्रेस के परिचालन में आवश्यक सुधार किया जाए।	पूर्व मध्य रेल में मगध एक्सप्रेस का मुख्य विलम्बन का कारण खतरे की जंजीर का दुरुपयोग है, जिसके लिए मण्डल को निर्देश दिया गया है कि रोक थाम की व्यवस्था की जाए।	+
2.16	सुबह के समय में इंटरनेट के जरिये तत्काल टिकट आरक्षण में काफी असुविधा होती है सरबर एक्सेस ही नहीं होता है। अतः इसमें तकनीकी सुधार किया जाए।	यह मामला आईआरसीटीसी, क्रिस (CRIS) तथा रेलवे बोर्ड को बताया गया है।	++

2.17	पटना जक्शन पर गाड़ियों के आगमन की सूचना का समय एवं वास्तविक समय में काफी अंतर देखने को मिलता है इसमें सुधार किया जाए ।	इस पर विचार किया जा रहा है। स्थिति में जल्द सुधार होगा
2.18	सभी प्रमुख स्टेशनों पर पे एंड यूज प्रणाली के तहत यात्री सुविधाएँ यथा, पेयजल, साफ-सफाई, शौचालय, उचित रोशनी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए ।	सभी प्रमुख स्टेशनों पर पेयजल, सफाई, रोशनी, पे एंड यूज प्रणाली सुविधा उपलब्ध है ।
2.19	चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पटना में मोनो रेल सेवा परिचालन की योजना का स्वागत किया है इस पर आगे की कार्यवाई यथाशीघ्र प्रारंभ की जाए ।	यह नीतिगत निर्णय है। इस पर रेलवे बोर्ड ही विचार कर सकता है।
2.20	बिहार में अवस्थित सभी रेल पुलों की स्थिति में आवश्यक सुधार किया जाए ।	बिहार में स्थित सभी पुल जिनका जिर्णोद्धार आवश्यक है उनकी वर्तमान स्थिति के परियता के क्रम में प्लान कर कार्य किया जा रहा है।
2.21	नशाखुरानी पर रोक के लिए गठित गुप्त निगरानी दस्ता को और कारगर बनाया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है ।	Anti-Drugging Cells have been formed at Zonal and Divisional levels. These teams analyse each drugging case reported, take preventive measures in co-ordination with GRP and suggest preventive measures. Besides Joints teams of RPF/E.C. Rly. RPF/E.Rly. RPF/N.C. Rly. And RPF/N.Rly. are operating in affected sections and on affected trains. It is pertinent to mention that GRP is authorised to register and investigate the cases of drugging.
2.22	आतंकी घटनाओं को देखते हुए आरपीएफ एवं आरपीएसएफ के द्वारा स्काउट की व्यवस्था की गयी है इसे और कारगर बनाया जाना चाहिए ।	According to available strengths, RPF/RPSF personnel are deployed in adequate strength in extremist affected areas for train escorting.
2.23	छोटे-छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए चैम्बर ने डेमरेज चार्ज में की गयी अप्रत्याशित वृद्धि को कम करने का अनुरोध किया था परंतु कृत कार्यवाई से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है । अतः इस संबंध में महाप्रबंधक स्तर से भी रेलवे बोर्ड को अनुशंसा भेजी जानी चाहिए ।	रेक का अनावश्यक विलम्बन को देखते हुए चैन डेमरेज लगाया गया है। जो कि समय-समय पर मण्डल द्वारा रिव्यू किया जाता है।
2.24	रेलवे ने आईआरसीटीसी के खान-पान की गुणवत्ता पर ध्यान दिया है परंतु इसे और कारगर बनाने हेतु समय-समय पर औचक निरीक्षण कर दोषियों पर कठोर कार्यवाई करने की आवश्यकता है ।	आईआरसीटीसी द्वारा संचालित खान-पान सेवा में सुधार हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा नई कैटरिंग पॉलिसी, 2010 जारी कर दी गयी है । इसकी गुणवत्ता की जाँच हेतु औचक निरीक्षण कराये जाते हैं और पायी गयी कमियों के लिए अपेक्षित कार्यवाई की जाती है ।
2.25	फतुहा रेलवे यार्ड में व्यवसायियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जानी चाहिए एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध करायी जाए ।	फतुहा रेलवे यार्ड में व्यवसायियों को सुविधा प्रदान करने हेतु प्रस्ताव दानापुर मंडल द्वारा प्रक्रियाधीन है।
2.26	कुछ गाड़ियों में रेलवे ने ऑन बोर्ड हाउस किपिंग की व्यवस्था की है यह एक	2309/10 राजधानी एक्सप्रेस, 2353/54 गरीबरथ एक्सप्रेस पटना-दिल्ली, 2553/54 वैशाली एक्सप्रेस

	स्वागतयोग्य कदम है। इसका विस्तार करते हुए यह सुविधा सभी गाड़ियों में दी जाए।	एवं 3317/18 ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस गाड़ियों में डिस्ट्रे सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे बोर्ड द्वारा अन्य 700 यानों में भी इस तरह की व्यवस्था की स्वीकृति दी जा चुकी है।
2.27	बुजुर्गों एवं निशक्तों के लिए आधुनिक ट्रॉली का प्रावधान रेलवे ने किया है इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए।	सभी प्रमुख स्टेशनों पर हवील चेयर की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। आधुनिक ट्रॉली का प्रावधान प्रक्रियाधिन है और छोटे स्टेशनों पर भी उसकी व्यवस्था निकट भविष्य में की जायेगी।
2.28	मथुरा एक्सप्रेस के साथ-साथ डाउन लाईन में लाने वाली करीब-करीब सभी ऐसी गाड़ियों, जो पटना जंक्शन एवं राजेन्द्रनगर टर्मिनल में अपनी यात्रा समाप्त करती है, को दानापुर में दो-दो घंटे तक रोक दिया जाता है जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है अतः हमारा सुझाव है कि राजेन्द्रनगर टर्मिनल की भौति सचिवालय हॉल्ट को भी विकसित किया जाना चाहिए।	पाटलीपुत्र टर्मिनल के निर्माण हो जाने के बाद उपरोक्त समस्या का निदान हो जाएगा।
2.29	सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कुलियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया जाए तथा कार्यावधि में उसे पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए।	कुलियों को बैज (Badge) उपलब्ध है जो उन्हें कार्यावधि के दौरान पहनना जरूरी है। इस विषय में समय-समय पर अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।
2.30	पटना जंक्शन से हाजीपुर के बीच सिंग बस सेवा प्रारंभ किया जाना चाहिए।	इस मामले पर निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाना है।
2.31	विभिन्न स्टेशनों पर कार्यरत सभी फूड प्लाजा का टेलिफोन नंबर आईआरसीटीसी एवं रेलवे के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि यात्री सहजता से उसका उपयोग कर सकें।	पूर्व मध्य रेल पर संचालित फूड प्लाजाओं की सूची वेबसाइट पर डाला जाना प्रक्रियाधीन है। तथापि इसका विवरण आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3.0	डी0 के0 जैन,	
3.1	गया से मुम्बई, पुणे एवं अहमदाबाद के लिए सीधी ट्रेनों को चलाया जाए।	इस पर विचार किया जा रहा है।
3.2	2329/2330 का गया स्टेशन पर ठहराव दिया जाए।	गाड़ी सं.2329/2330 सियालदाह-दिल्ली का गया में ठहराव के लिए रेलवे बोर्ड को लिखा गया है।
3.3	गया स्टेशन पर 24/26 कोच क्षमता का एक नया कोचिंग पीट लाईन/वाशिंग पीट बनाया जाए।	गया में 24 कोच क्षमता का एक नया कोचिंग पीट लाइन रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2007-08 में ही स्वीकृत किया गया है। जिसका अनुमानित लागत 4.73 करोड़ रु. है। इसका निविदा 07.05.2010 को हुआ जिसे जल्द सम्पन्न होना है।
3.4	2389/2390 का विस्तार इरनाकुलम तक किया जाए साथ ही इस गाड़ी का समय इस तरह से है कि उसे गया से चेन्नई पहुँचने में एक रात एवं दो दिन का समय लग जाता है। यह गाड़ी सुबह 05.45 में खुलती है। अतः इसे रात में खोला जाना चाहिए।	गाड़ी सं.2389/2390 भाया-चेन्नई एगमोर का फलाई ओभर मात्र 10.45 मिनट चेन्नई है। अतः इस का विस्तारीकरण एरनाकुलम तक सम्भव नहीं है। यह गाड़ी सात रेलवे होकर जाती है अतः इसका समय परिवर्तन करना भी सम्भव नहीं है।

3.5	गया की विभिन्न गाड़ियों (अप एवं डाउन) में कुल 2921 बर्थ का आरक्षण कोटा (सामान्य) प्रदत्त है। हाबड़ा हेतु ट्रेन संख्या 2312 एवं 2308 में कोटा प्रदत्त नहीं है तथा अप में 2175, 2177 एवं 9306 में कोटा प्रदत्त नहीं है। 2423 भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस में गया को आरक्षण कोटा प्राप्त नहीं है। उपर्युक्त सभी गाड़ियों में गया में आरक्षण कोटा दी जाए।	गाड़ियों में Quota प्रदान करने हेतु सीसीएम/पीएम/कोलकाता को पत्र दिया गया है।
3.6	गाड़ी संख्या 2941/2942 आसनसोल-पारसनाथ एक्सप्रेस की बारम्बारता बढ़ायी जाए।	गाड़ी सं. 2941/2942 आसनसोल एवं अहमदाबाद के बीच चलती है। इस गाड़ी के समय पर 2495/2496 एवं बीकानेर-कोलकाता एक्सप्रेस एवं 2937/2938 गांधीधाम हावड़ा एक्सप्रेस भी चलती है। इसकी बारम्बारता बढ़ाने के लिए पूर्व रेलवे एवं पश्चिम रेलवे की सहमति आवश्यक है।
3.7	गया-किउल लाइन का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण की जाए। गया में पिट लाइन का निर्माण यथाशीघ्र हो।	गया-कियूल लाइन के दोहरीकरण के सर्वे (अद्यतन) का कार्य करने हेतु निर्देश दिये गये हैं संभवतः जून 2011 में इसे पूरा कर लिया जाएगा। विद्युतीकरण का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा जा रहा है।
3.8	5109/5110 बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया जाए।	गाड़ी सं. 5109/5110 के समय परिवर्तन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे एवं रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है।
3.9	पारसनाथ स्टेशन जैन तीर्थयात्रियों का महत्वपूर्ण स्टेशन है इसलिए यहाँ निम्नलिखित गाड़ियों का ठहराव दिया जाए - 8. अजमेर - सियालदाह एक्सप्रेस, 9. 2817/18 रॉची दिल्ली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 10. 8103/04 टाटानगर - अमृतसर जालियोंवाला बाग एक्सप्रेस 11. 2825/26 रॉची नई दिल्ली झारखंड संपर्कक्रांति एक्सप्रेस 12. 2365/66 पटना रॉची जन शताब्दी दैनिक गाड़ी 13. 2495/96 बीकानेर कोलकाता एक्सप्रेस साप्ताहिक गाड़ी 14. 2937/38 हाबड़ा गांधीधाम साप्ताहिक गाड़ी।	इस गाड़ियों के ठहराव के लिए प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को लिखा गया है।
4.0	श्री मनोज कुमार सिंह	
4.1	बरौनी-कटिहार रेलखंड पर अवस्थित चैधाबन्नी हॉल्ट के दोनों प्लेटफार्मों पर यात्री शेड एवं बैठने हेतु बेंच का निर्माण करवाया जाए।	नॉर्म्स के अनुसार हाल्ट स्टेशनों पर शेड नहीं लगाया जाना है। अन्य आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
4.2	चैधाबन्नी हॉल्ट पर शौचालय (पुरुष एवं महिला हेतु) एवं यूरीनल का निर्माण करवाया जाए।	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित माप दण्ड के अनुसार एफ श्रेणी के हॉल्ट पर मूत्रालय का प्रावधान नहीं है।

4.3	चैधाबन्नी हॉल्ट के दोनों प्लेटफार्मों पर पानी के लिए चापाकल लगाया जाए ।	रेलवे बोर्ड द्वारा नियत मानक के अनुसार हॉल्ट स्टेशन पर एक चापाकल लगाने का प्रावधान है जो वहाँ उपलब्ध है ।
4.4	चैधाबन्नी हॉल्ट के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म का मरम्मत करवाया जाए ।	ईट सोलिंग विखर गया है। जिसे ठीक कराया जा रहा है।
4.5	चैधाबन्नी हॉल्ट पर रोशनी हेतु सोलर लाइट लगवाया जाए ।	चैधाबन्नी हॉल्ट पर रोशनी हेतु सोलर लाइट लगाने के कार्य का आकलन सोनपुर मंडल द्वारा किया जा रहा है। स्वीकृत होने के बाद कार्य किया जाएगा।
4.6	गाड़ी के आगमन की सूचना हेतु दूरभाष संयोजन की व्यवस्था की जाए ।	दूरभाष नम्बर-139 पर यह सूचना उपलब्ध होता है। हॉल्ट स्टेशनों पर दूरभाष संयोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया जाना है। निर्णय के पश्चात् सिंगनल एवं दूरसंचार विभाग द्वारा व्यवस्था की जाएगी।
4.7	जनसेवा एक्सप्रेस जो अमृतसर से सहरसा के बीच चलती है उसके बाथरूम वगैरह बहुत गंदा रहता है इस ओर ध्यान दिया जाए ।	जनसेवा एवं जननायक एक्सप्रेस के बाथरूम में गंदगी की शिकायत को दूर करने की व्यवस्था की जा रही है, आगामी डेढ़ महीने के अन्दर इस शिकायत को दूर करने की संभावना है।
5.0	श्री कमलेश्वरी मेहता	
5.1	कोशी एक्सप्रेस सहरसा से सुबह करीब 05.30 बजे खुलती है उसे दौरम मधेपुरा से सुबह 08.00 बजे के आसपास खोलने की व्यवस्था उपयोगी होगा ।	कोशी एक्सप्रेस और गाड़ी सं. 8625 एक ही रैक से चलती है अतः इसे मधेपुरा से सुबह 8.00 बजे खोलना संभव नहीं है।
5.2	जन सेवा एक्सप्रेस सहरसा से 08.40 बजे खुलती है इसे दौरम मधेपुरा से खोला जाए।	मधेपुरा में टर्मिनल सुविधा का अभाव है। अतः मधेपुरा से दोनों गाड़ी (ट्रेनों) को चलाना संभव नहीं है।
5.3	इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी दौरम मधेपुरा से खोला जाए ।	मधेपुरा में टर्मिनल सुविधा का अभाव है। अतः मधेपुरा से दोनों गाड़ी (ट्रेनों) को चलाना संभव नहीं है।
5.4	दौरम मधेपुरा से बनमन्खी का रेलमार्ग बाद 2008 के बाद क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रेलवे परिचालन बंद है मरम्मती का कार्य मंथरगति से चल रहा है । इसे द्रुत गति से किया जाए ।	मुरलीगंज से बनमन्खी तक रेल मार्ग चालू है, शेष कार्य प्रगति पर है।
6.0	श्री दुर्गेश कुमार राय	
6.1	दलसिंहसराय स्टेशन से उत्तर रेलवे गुमटी पर आर0 ओ0 बी0 का निर्माण करवाया जाए।	दलसिंहसराय के उत्तर रेल गुमटी सं.32 आर0 ओ0 बी0 के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता है। वर्ष 2008 का इस गेट का टीभीयू 23520 है।
6.2	समस्तीपुर जंक्शन से पश्चिम भोला टाकिज के निकट रेलवे गुमटी पर आर0ओ0बी0 का निर्माण करवाया जाए ।	उपरगामी पुल के निर्माण में अनुमानित लागत लगभग 23.74 करोड़ है। जिसके कुल लागत राशि का रेलवे एवं राज्य सरकार को नियमानुसार 50:50 प्रतिशत राशि वहन करनी होगी एवं उक्त समपार बंद करने के लिए जिला प्रशासन की सहमति भी उपेक्षित होगी। तत्संबंध में जिलाधिकारी, समस्तीपुर को सहमति हेतु पत्र दी गई है परन्तु अभी तक बिहार सरकार/जिला प्रशासन की ओ से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। स्वीकृति के पश्चात आगे की कार्यवाई की जायेगी।
6.3	समस्तीपुर माधुरी चौक के निकट अवस्थित पुराने आर0ओ0बी0 का जिर्णोध्धार कर साईकिल रैम्प का निर्माण करवाया जाए ।	समस्तीपुर माधुरी चौक के निकट अवस्थित पुराने एफओबी क्षतिग्रस्त है। जिसके कारण वर्तमान में आवागमन भी बंद कर दिया गया है।

6.4	समस्तीपुर अटेरन चौक रेलवे गुमटी पर नया एफ0ओ0बी0 साईकिल रैम्प सहित निर्माण करवाया जाए ।	अटेरन चौक रेलवे गुमटी पर नया एफओबी का निर्माण किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से समीचीन नहीं है। क्योंकि उक्त लेवल क्रासिंग रेलवे यार्ड में अवस्थित है। जिसके एक तरफ डिजल शेड एवं दूसरे तरफ रेलवे कॉलोनी है डिजल शेड के लिए समानों से लदा भारी वाहन का आवागमन होता रहता है। प्रस्तावित एफओबी के निर्माण से वर्तमान सड़क अवरुद्ध हो जायेगा जिसके कारण आवागमन एवं प्रशासनिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा।
6.5	समस्तीपुर एवं बरौनी से चलने वाली सभी सवारी गाड़ियों का ठहराव बसदिया हॉल्ट पर दिया जाए ।	बसदिया हॉल्ट दि.11.02.2010 को खोला गया है इसमें एक जोड़ी सवारी गाड़ी का ठहराव दिया गया है।
6.6	मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन पर यात्री शेड का निर्माण करवाया जाए एवं प्लेटफार्म का विस्तार किया जाए ।	मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन पर नॉर्म्स के अनुसार 64 वर्ग मी0 यात्री शेड की जरूरत है जबकि यहाँ 140 वर्ग मीटर यात्री शेड पहले से ही उपलब्ध है। यहाँ आवश्यक लम्बाई प्लेटफार्म उपलब्ध है।
6.7	मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन से गुमटी तक के सड़क का निर्माण एवं एफ0ओ0बी0 का निर्माण करवाया जाए ।	मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन से पश्चिमी गुमटी तक सड़क का निर्माण का कार्य स्वीकृत है। निविदा निष्पादनाधीन है यहाँ पर एक ही प्लेटफार्म है। अतः एफओबी की औचित्य नहीं बनता है।
6.8	उजियारपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री शेड का पुल तक विस्तार किया जाए , पानी टंकी एवं पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की जाए, बुकिंग क्लर्क की व्यवस्था की जाए ।	उजियारपुर स्टेशन 'ई' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत है जहाँ औसत दैनिक यात्री संख्या करीब 1030 है । रेलवे बोर्ड द्वारा नियत मानक के अनुसार यहाँ 42 वर्ग मीटर शेड का प्रावधान किया जाना है जबकि इस स्टेशन पर 126 वर्ग मीटर यात्री शेड उपलब्ध है । पेय जल के लिए यहाँ 04 हैंडपम्प उपलब्ध हैं । मानक के अनुसार 'ई' श्रेणी के स्टेशन पर पानी टंकी का प्रावधान नहीं किया जाना है । स्टेशन के टिकट बिक्री आंकड़े को देखते हुए वहाँ बुकिंग लिपिक की प्रतिनियुक्ति का औचित्य नहीं बनता है ।
6.9	उजियारपुर रेलवे स्टेशन पर मौर्य एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए ।	उजियारपुर रेलवे स्टेशन पर मौर्य एक्सप्रेस 5028/5027 का ठहराव के लिए वाणिज्य औचित्य प्राप्त होने पर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
6.10	पटोरी रेलवे स्टेशन पर एफ0 ओ0 बी0 का निर्माण करवाया जाए ।	कार्य स्वीकृत है। दिनांक 31.03.11 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।
6.11	पटोरी रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक स्वास्थ्य की स्थापना की जाए ।	1.दो स्वास्थ्य केन्द्रों की दूरी 80-100 कि.मी. होनी चाहिए। जब कि शाहपुर-पटोरी से पॉलिक्लिनिक/हाजीपुर की एवं स्वा. के./ बरौनी की दूरी क्रमशः 37.85 किमी एवं 49.98 किमी है। 2.दो स्वा. केन्द्रों के बीच रेलवे स्टेशनों की सं. 16-20 होनी चाहिए जबकि शाहपुरपटोरी से हाजीपुर एवं बरौनी के मध्य स्टेशनों की सं. क्रमशः 05 एवं 04 ही है। 3.औसतन प्रतिदिन 50 OPD मरीज होने चाहिए जिसकी गणना लौक अप डिस्पेन्सरी खोलकर किया जा सकता है।

6.12	पटोरी रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्पूरी पार्क का जिर्णोध्धार किया जाए ।	कार्य का प्रस्ताव किया जा रहा है ।	-
6.13	पटोरी रेलवे स्टेशन से गुमटी तक का सड़क बनवाया जाए ।	कार्य हेतु एजेंसी का निर्धारण किया जा रहा है। इस वर्ष निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।	++
6.14	खुदीराम बोस पूसा स्टेशन से दलसिंहसराय स्टेशन तक का रेलखंड को परिचालन एवं यात्रियों के अन्य सुविधाओं को देखते हुए इसे समस्तीपुर मंडल में शामिल किया जाए।	परिचालनिक दृष्टिकोण से यह संभव नहीं है।	++
6.15	समस्तीपुर स्टेशन से दक्षिण अटेनर चौक रेलवे गुमटी से दक्षिण सिग्नल की व्यवस्था की जाए ताकि गुमटी अधिक समय तक बंद न रहे ।	समस्तीपुर स्टेशन के दक्षिण अटेनर चौक गुमटी पर लगे सिग्नलिंग उपकरण निर्दिष्ट माप दंडों के मुताबिक लगाया गया है । अतएव सुरक्षा कारणों से नये सिग्नल की व्यवस्था नहीं की जा सकती है ।	++
6.16	मालगोदाम से जितवारपुर रेलवे कॉलोनी तक जाने वाली रेल सड़क का जिर्णोध्धार करवाया जाए ।	मालगोदाम से जितवारपुर रेलवे कॉलोनी तक जाने वाली रोड के लिए एजेंसी का निर्धारण हो गया है। कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाय।	++
6.17	स्टेशन पर जेड0आर0यू0सी0सी0 / डी0आर0 यू0 सी0सी0 सदस्यों का नाम लिखा होना चाहिए ।	सभी मंडलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। कई मंडलों में नाम लिखवा दिया गया है।	++
7.0	श्री देवी लाल		
7.1	स्टेशनों पर पानी, सफाई और शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है। अभी गर्मी के दिनों में इस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पानी की उचित व्यवस्था प्रत्येक स्टेशनों पर होनी चाहिए।	सभी स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ के अनुरूप पेयजल, शौचालय एवं सफाई की समुचित व्यवस्था की गयी है । प्रमुख स्टेशनों पर पे एण्ड यूज शौचालय तथा कुछ स्टेशनों पर डिस्पोजिबल शौचालय की व्यवस्था की गयी है ।	++
7.2	मुजफ्फरपुर में बटलर के पास एक गुमटी थी उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जाए। इससे यात्रियों को सुविधा होगी।	यार्ड में गुमटी नहीं रखा जाता है। स्टेशन के दोनों ओर सड़क उपलब्ध है।	++
7.3	सीवान के तरफ जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं वह समय पर जाती हैं परंतु सीवान से मुजफ्फरपुर आने में तीन से चार घंटे लगने चाहिए लेकिन गाड़ियाँ 7-8 घंटे लगाती हैं। इससे यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन गाड़ियों को समय पर पहुँचाने की व्यवस्था की जाए।	डाऊन गाड़ियों में मुख्यतः चेन पुलिंग एवं एकहरी लाइन चलने के कारण विलम्बन होता है।	-
8.0	श्री गोविन्द प्रसाद केजरीवाल		
8.1	मुजफ्फरपुर में पूर्व मध्य रेल और लीची के व्यापारी के साथ समन्वय की कमी के कारण लीची पार्सल नहीं संभाला जा रहा है । मेरा सुझाव है कि लीची के मौसम में एक अधिकारी नियुक्त किया जाए । जिससे लीची के लोडिंग की समस्या खत्म हो । इसके लिए पर्याप्त बोगी की व्यवस्था हो । लीची के मौसम भी 15-25 दिनों का होता है, अगर बोगी का व्यवस्था नहीं होने के कारण व्यापारी ट्रक से लीची बाहर ले जाते	मुजफ्फरपुर में लीची के मौसम में लीची लदान की मॉनिटरिंग के लिए एक अधिकारी एवं क्षेत्रिय अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाता है । इसके साथ ही पर्याप्त संख्या में पार्सल भान की व्यवस्था की जाती है और व्यापारियों द्वारा मांग होने पर प्राथमिकता के अनुरूप उन्हें उपलब्ध कराया जाता है ।	++

	हैं ।	
8.2	जेड0 टी0 एस0, मुजफ्फरपुर में एक कम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) है जिससे वहाँ काफी भीड़ रहती है । इसे दो शिफ्ट में किया जाए । साथ ही अनुरोध है कि एक अतिरिक्त पीआरएस वहाँ पर लगाया जाए जिससे आम यात्रियों को सुविधा हो ।	क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर में स्थापित पीआरएस टर्मिनल वहाँ के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के लिए दिया गया था । किन्तु स्थानीय लोगों की मॉग पर उक्त टर्मिनल से आरक्षित टिकट दिये जाने लगे ।
8.3	मुजफ्फरपुर पूछताछ काउण्टर की सुधार किये जाने की जरूरत है । वर्तमान में वहाँ पर 05 टेलिफोन हैं लेकिन वहाँ पर केवल एक या दो ही कर्मचारी अटेंड करते हैं । जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है । अच्छा होगा कि वहाँ पर एक पी एंड टी लाईन दिया जाए जिसके साथ 3 या 5 एक्स्टेंशन किये जाएँ ।	मुजफ्फरपुर जं. के पूछ-ताछ काउंटर पर लगाये गये 05 टेलिफोन को अटेंड करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है । इसके अतिरिक्त 139 पर भी पूछ-ताछ की सुविधा सुलभ करायी गयी है ।
8.4	मुजफ्फरपुर-भागलपुर इंटरसिटी को एक्सप्रेस की तरह चलायी जानी चाहिए । इसको मुजफ्फरपुर से 06.00 बजे सुबह में प्रस्थान करना चाहिए और भागलपुर में 12-30 बजे पहुँचना चाहिए और वापसी भी दोपहर में वर्तमान समयानुसार लौटना चाहिए ।	गाड़ी सं. 3419/3420 मुजफ्फरपुर- भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस का प्रारम्भिक अनुरक्षण भागलपुर में होता है। अतः इस गाड़ी का समय परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।
8.5	यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या एवं मॉग को देखते हुए दरभंगा/मुजफ्फरपुर से मुम्बई के लिए एक सुपर फास्ट ट्रेन चलायी जानी चाहिए ।	दरभंगा-मुम्बई के लिए एक सुपर फास्ट, एक साप्ताहिक सुपर फास्ट गाड़ी की व्यवस्था इस वर्ष की गई है।
9.0	श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह	
9.1	लिच्छवी एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से नयी दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन थी और सही समय पर इसका आगमन एवं प्रस्थान होता था लेकिन जब से इस ट्रेन का विस्तार सीतामढ़ी तक किया गया है तब से यह लगातार 3 घंटे से 12 घंटे तक के विलम्ब से चलता है । इसके कारण यात्री अब इस ट्रेन से सफर नहीं करना चाहते हैं । इसलिए अनुरोध है कि इसे पूर्व की भाँति समस्तीपुर से नई दिल्ली तक ही चलाया जाए ।	इस नियत समय पर चलाने के लिए गाड़ी में स्कॉर्टिंग की व्यवस्था की गई है, साथ ही इस लिंक में एक और रैक डालने के लिए रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया गया है।
9.2	मुजफ्फरपुर-हाजीपुर के बीच रात्रि में 10.40 के बाद से 08.00 बजे सुबह तक कोई गाड़ी नहीं है । इसलिए रात्रि 10.40 से 08.00 बजे की बीच इस खंड पर एक गाड़ी चलायी जानी चाहिए ।	रात्रि में स्थानीय यात्रियों का आवागमन नहीं होता है। दूरगामी यात्रियों के लिए एक्सप्रेस गाड़ियों उपलब्ध है।
9.3	बड़े स्टेशनों को छोड़कर बीच के स्टेशनों पर पानी का घोर अभाव है इसलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । प्रायः स्टेशनों	आवश्यकतानुसार ब्लॉक सेक्शन के बीच स्टेशन पर चापाकल का प्रावधान किया गया है। फिर भी संबंधित सहा० इंजीनियर को निदेशित किया गया है कि

	पर एक ही चापाकल है । चापाकल बढ़ायी जाए ।	जहाँ-जहाँ पानी की समस्या है वहाँ चापाकल का प्रावधान किया जाये ।
9.4	गोरौल तथा भगवानपुर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 02 पर यात्री शेड की व्यवस्था नहीं है । इसे यथाशीघ्र बनवाया जाना चाहिए ।	शेड लगाने हेतु प्रस्ताव को पीडब्लूपी 2011.12 में प्रस्तावित है ।
9.5	हाजीपुर से मुजफ्फरपुर की दूरी 54-55 किमी० है लेकिन एक्सप्रेस या सवारी गाड़ी 2) से 3) घंटे का समय लग जाता है । परिचालन में सुधार के लिए इस रेलखंड का दोहरीकरण किया जाना चाहिए ।	दोहरीकरण का प्रस्ताव किया जा रहा है ।
9.6	हाजीपुर-समस्तीपुर भाया भगवानपुर-महुआ पातेपुर नई रेल लाईन जिसकी स्वीकृति के बाद सर्वेक्षण भी हो चुका है उसका काम शीघ्र करावाया जाए जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके ।	हाजीपुर-समस्तीपुर का सर्वे की स्वीकृति नहीं प्राप्त है । फिर भी RET सर्वे भगवानपुर से समस्तीपुर भाया महुआ-पातेपुर नई लाईन हेतु चल रहा है । जो वर्ष 2010-11 में पूरा करने हेतु निर्धारित किया गया है ।
9.7	हाजीपुर महत्वपूर्ण स्टेशन है, इस स्टेशन पर महत्वपूर्ण ट्रेनों को 01 नम्बर प्लेटफार्म पर लेना आवश्यक है ।	इस पर कार्यवाही की जा रही है ।
9.8	जेड0आर0यू0सी0सी0 का मीटिंग समय पर हो और अगला मिटींग का तिथि निर्धारित हो ।	पिछले बैठक से ही यह लागू कर दिया गया है ।
9.9	521-सिवान-समस्तीपुर पैसेन्जर ट्रेन का टाइम ठीक किया जाए ।	ट्रेन संख्या 521 समस्तीपुर-सीवान सवारी गाड़ी का समय दैनिक यात्रियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर निर्धारित किया गया है ।
	अगला मिटिंग महाप्रबंधक महोदय ने 22.09.2010 को होना तय किये हैं एवं सभी माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी मिटिंग में दी गयी ।	
10.0	श्री रोहन लाल मेहता	
10.1	ट्रेनों में खान-पान की व्यवस्था में सुधार किया जाए क्योंकि मीनू के अनुसार खाना नहीं दिया जा रहा है ।	सभी कैटरिंग इकाइयों पर मेनु पहले से ही उपलब्ध है । ट्रेनों में खान-पान की गुणवत्ता में सुधार हेतु समय-समय पर औचक निरीक्षण कराया जाता है तथा पायी गयी कमियों में सुधार के साथ-साथ संबंधित ठेकेदार को दंडित किया जाता है ।
10.2	स्टेशन परिसर एवं प्लेटफार्मों पर स्थित दुकानों में घपला पाया गया है । पटना जंक्शन एवं बरकाकाना स्टेशन पर दुकानों अथवा स्टॉलों का नवीकरण नहीं हुआ है फिर भी वे दुकान और स्टॉल चला रहे हैं । यह भी पता चला है कि एक दुकान/स्टाल का आवंटन मिला है परंतु वह अनेक दुकान/स्टॉल चला रहा है जिससे रेलवे राजस्व की हानि हो रही है । इस ओर ध्यान दें ।	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पिछले एक वर्ष से सभी पुरानी खान-पान इकाइयों के नवीनीकरण तथा नए टेंडरिंग पर रोक लगा दिया गया है । आईआरसीटीसी द्वारा विभिन्न ए-1, ए एवं बी श्रेणी स्टेशनों पर स्वच्छ स्वास्थ्यप्रद स्तरीय नए मॉड्यूलर स्टॉल स्थापित किए गए हैं । नयी खान-पान नीति के लागू हो जाने पर सभी स्टॉल का नवीकरण तदनुसार किया जाएगा ।
10.3	गाड़ी में चेकिंग बढ़ायी जाए और प्रत्येक रूट के लिए फोर्स के साथ एक टीम गठित की	ट्रेनों में टिकट चेकिंग की रूटीन व्यवस्था के अतिरिक्त मंडलों एवं मुख्यालय के विशेष दस्ते को सघन टिकट

	जाए जिसमें जेडआरयूसीसी के सदस्यों को भी शामिल किया जाए ।	जॉच में लगाया जाता है । जेडआरयूसीसी के सदस्यों को टिकट चेकिंग में शामिल करने का प्रस्ताव नियम संगत नहीं है ।
10.4	टिकट आरक्षण में बुकिंग काउन्टर से टिकट नहीं मिलता है लेकिन एजेंट के माध्यम से अधिक रुपये देने पर टिकट मिल जाता है । इस ओर ध्यान दिया जाए ।	आरक्षण कार्यालयों में कार्यरत आरक्षण लिपिकों की कार्यप्रणाली पर विशेष नजर रखी जाती है । दलालों एवं आरक्षण लिपिकों के विरुद्ध समय-समय पर विशेष अभियान चलाया जाता है ।
10.5	अंतिम समय में प्लेटफार्मों को न बदला जाए क्योंकि इसी कारण से दिल्ली में दुर्घटना हुई थी ।	पूर्व मध्य रेल पर इस तरह का दुर्घटना नहीं घटी है । फिर भी मंडलों को इसके लिये सख्त निर्देश दिये जाते रहते हैं ।
10.6	रेलवे के पदाधिकारियों के यात्रा कार्यक्रम की सूचना जेडआरयूसीसी के सदस्यों को भी दी जाए ।	इस पर विचार किया जा रहा है ।
10.7	भभुआ रोड स्टेशन, सासाराम स्टेशन एवं डिहरी स्टेशन पर एक ए.सी. रिटायरिंग रूम की व्यवस्था की जाए ।	भभुआ रोड स्टेशन के उन्नतिकरण का कार्य लॉगबुक 2008-09 के अन्तर्गत जारी कार्य है । जिसके कार्यवृत्त में एक गैर वातानुकूलित रिटायरिंग रूम के निर्माण का कार्य शामिल है । सासाराम स्टेशन के पुर्नवास का कार्य योजना पीडब्लूपी 2010-11 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य है । जिसके कार्यवृत्त में एक वातानुकूलित रिटायरिंग रूम के निर्माण का कार्य शामिल है । डिहरी-ऑन-सोन स्टेशन के उन्नतिकरण का कार्य पीडब्लूपी 2011-12 के कार्य योजना में मुख्यालय द्वारा अनुमोदित हुआ है । जिसके कार्यवृत्त में दो बेड के वातानुकूलित रिटायरिंग रूम के पददतिकरण का कार्य शामिल है ।
10.8	डिहरी ऑन सोन स्टेशन पर चंबल एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए ।	रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया है ।
10.9	डालटेनगंज भाया डिहरी - मुगलसराय नई दिल्ली एक नई एक्सप्रेस ट्रेन महाबोधी की तरह दी जाए ।	डालटेनगंज में नई गाड़ी के परिचालन के लिए टर्मिनल का अभाव है ।
10.10	राँची-बनारस इंटरसिटी में एक ए.सी. कोच की व्यवस्था की जाए ।	गाड़ी सं. 8611/8612 राँची-वाराणसी एक्सप्रेस में कम टिकट बिक्री के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा एसी कोच को हटा दिया गया है ।
10.11	डिहरी से पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को पुनः पूर्व की तरह ठहराव किया जाए क्योंकि इसके इतने अधिक ठहराव के कारण गाड़ी बहुत विलंब से चला करती है ।	एक बार ठहराव देने के बाद आंदोलन की संभावना बना रहता है । वर्तमान में यात्रियों को इससे काफी परेशानी होती है ।
11.0	श्री कुमुद वर्मा	
11.1	पटना जंक्शन पर एक अतिरिक्त रेलवे पूछताछ काउन्टर खोला जाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके ।	पटना जं. के मुख्य प्रवेश द्वार पर पूछ-ताछ काउन्टर कार्यरत है । इसके अतिरिक्त करबिगहिया तरफ भी पूछ-ताछ काउन्टर कार्यरत है । पूछ-ताछ संबंधी सूचनाएं 139 पर भी उपलब्ध हैं ।
11.2	139 के माध्यम से रेलवे इन्क्वायरी मुख्यतः ट्रेन के विलंब से चलने पर सही जानकारी नहीं देता है इसके साथ ही साथ यह ट्रेन के रद्द होने की जानकारी भी नहीं देता है एवं	139 की सुविधा का नियंत्रण सीसीएम/पीएम/कोलकाता द्वारा किया जाता है । किस एवं रेलवे के अन्य परिचालनिक नियंत्रण के साथ 139 को जोड़ दिया गया है । जहाँ तक इसके आम

	139 आम आदमी के लिए महंगा भी पड़ता है । इसमें सुधार की आवश्यकता है ।	आदमी के लिए महंगा होना एक नीतिगत प्रश्न है, जिसके बारे में निर्णय रेलवे बोर्ड के स्तर पर लिया जा सकता है ।
11.3	मिडिल फुटओभर ब्रिज का संपर्क पटना जंक्शन के करबिगहिया के अंत तक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यात्रियों एवं आमलोगों की भीड़ ज्यादा होता है ।	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है ।
11.4	एनाउन्सिंग, साफ-सफाई, प्लेटफार्म के सतह और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आदि में सुधार करने की आवश्यकता है ।	पटना जंक्शन के सभी प्लेटफार्म पर उद्घोषणा प्रणाली की समुचित व्यवस्था है । साफ-सफाई का कार्य बाहरी एजेन्सियों द्वारा सुचारु रूप से सम्पन्न कराया जा रहा है । सभी स्टेशनों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु सदैव जाँच कराया जाता है । भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है ।
11.5	लंबी दूरी की गाड़ियों को पटना जंक्शन के दोनों तरफ के आउटर पर अनावश्यक ढंग से देर तक रोके रखा जाता है जिससे बोनफाईड यात्री परेशान होते हैं । इस ओर ध्यान दिया जाए ।	परिचालन विभाग द्वारा पटना जं. आउटर पर अनावश्यक देर तक गाड़ियों को रोक रखने के बारे में सम्बन्धित मंडल को निर्देश दिया गया है कि विलम्बन को रोका जाए ।
11.6	दानापुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों सुविधाओं का घोर अभाव है । यहाँ पर कोच इंडिकेटिंग बोर्ड की सुविधा नहीं है जिसके कारण विशेषतः महिला और आम यात्री अपना कोच ढूँढ़ने एवं चढ़ने के लिए अपने सामानों के साथ इधर-उधर भागना पड़ता है ।	दानापुर स्टेशन को मॉडल स्टेशन घोषित किया गया है । यहाँ सभी अपेक्षित यात्री सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं । कोच इंडिकेशन बोर्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विचार किया जा रहा है ।
11.7	दानापुर के सरकुलेटिंग एरिया को विकसित करने की आवश्यकता है जबकि मिडिल फुट ओभर ब्रिज को अब तक चौड़ा किया जाना बाकी है । यह रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत है ।	इस पर विचार किया जा रहा है ।
11.8	दानापुर स्टेशन के दक्षिण के तरफ एक अतिरिक्त बुकिंग काउन्टर खोलने की नितात आवश्यकता है ताकि दक्षिण साईड में रहने वाले आम लोगों को सुविधा हो सके ।	दानापुर स्टेशन के दक्षिण के तरफ एक अतिरिक्त बुकिंग काउन्टर खोलने के प्रस्ताव को मं.रे.प्र./दानापुर की स्वीकृति मिल चुकी है ।
11.9	बहुत बड़ी संख्या में यात्री जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं जिससे वे कम्प्यूटराइज्ड आरक्षण टिकट आसानी से ले सकते हैं । इस ओर रेलवे को ध्यान देने की जरूरत है ।	पीआरएस काउन्टर पर क्रेडिट कार्ड से आरक्षण देने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है । वैसे, इच्छुक व्यक्ति ई-टिकटिंग व्यवस्था से आरक्षित टिकट लेने में क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं ।
11.10	समस्तीपुर मंडल में डीएमयू एवं मेमू की सुविधा दी जाए जिससे आम यात्रियों को यात्रा में सुविधा हो ।	पूर्व मध्य रेल द्वारा सोनपुर में डीएमयू शेड का निर्माण कराया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है । इस शेड में कार्यारम्भ होने के पश्चात समस्तीपुर मंडल में डीएमयू सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जाएगी ।
11.11	लोकप्रिय यात्री सवारी गाड़ी जानकी एक्सप्रेस जो वर्तमान में सप्ताह में तीन दिन चलती है और वह अक्सर सहरसा और जयनगर के बीच विलंब से चलती है । इसके कारण सामान्य यात्रियों को भारी	कम टिकट बिक्री के कारण वर्तमान में इसे प्रतिदिन चलाना सम्भव नहीं है ।

	असुविधा होती है अतः इसे आमलोगों के आवश्यकता को देखते हुए जल्द से जल्द इसे प्रतिदिन किया जाए और समय पर परिचालन करवाया जाए ।	
11.12	पूर्व मध्य रेलवे के उन स्टेशनों से जहाँ यात्री गाड़ियों की शुरुआत होती है, से चलने वाली प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउस किपिंग व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू किया जाए ।	ओबीएचएस की व्यवस्था रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के आलोक में की जा रही है।
11.13	निम्न गाड़ियों का ठहराव दानापुर रेलवे स्टेशन पर दिया जाना अत्यावश्यक है क्योंकि दानापुर स्थित आर्मी ऑफिसियल एवं आम यात्रियों को इससे सुविधा होगी – क. हावड़ा-हरिद्वारा एक्सप्रेस (2369), ख. हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस (2327), ग. पटना-सिकंदराबाद एक्सप्रेस (2792), घ. भागलपुर-नई दिल्ली विक्रमशिला एक्सप्रेस (2367), ड. जनसाधारण एक्सप्रेस (2387)	इन गाड़ियों के ठहराव के लिए रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया था लेकिन सहमति नहीं हुई।
11.14	चलती ट्रेन में नशाखुरानी की घटना को रोकथाम करने की आवश्यकता है एवं इसके रोकथाम के लिए नियमित रूप से प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलायी जानी चाहिए ।	Anti-Drugging Cells have been formed at Zonal and Divisional levels. These teams analyse each drugging case reported, take preventive measures in co-ordination with GRP and suggest preventive measures. Besides Joints teams of RPF/E.C. Rly., RPF/E.Rly./ RPF/N.C. Rly. And RPF/N.Rly. are operating in affected sections and on affected trains. It is pertinent to mention that GRP is authorised to register and investigate the cases of drugging.
11.15	अलार्म चैन पुलिंग एवं अप्राधिकृत यात्री जो आरक्षित कोचों में यात्रा करते हैं उनकी जाँच प्रत्येक मंडल में होनी चाहिए विशेषतः दानापुर मंडल में । क्योंकि इससे बोनाफाईड यात्री को बहुत असुविधा होती है ।	RPF/RPSF personnel are deployed on the most ACP affected trains. The persons found in default are arrested and prosecuted u/s 141 Railways Act. Checking of authorised passengers in reserved coaches is to be done by Commercial staff.
11.16	पीक आवर में देखा जाता है कि पी.आर.एस. के सामने लम्बी कतार रहती है, लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं इसलिए कम्प्यूटराइज्ड आरक्षण काउन्टर को टोकन आधारित किया जाना चाहिए साथ ही दलालों की सक्रियता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसमें ज्यादा पारदर्शिता लायी जानी चाहिए ।	पूर्व मध्य रेल के मुगलसराय मंडल के गया एवं मुगलसराय स्टेशनों के लिए यह प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है । सोनपुर मंडल द्वारा भी मुजफ्फरपुर के लिए आंशिक रूप से यह व्यवस्था शुरू की गयी है । अभी दिनांक 15.09.2010 से पू.म.रे. के 'ए-1' एवं 'ए' श्रेणी के स्टेशनों पर पीआरएस की सुविधा प्रायोगिक तौर पर 20.00 बजे के बदले 22.00 बजे तक बढ़ायी गयी है ।
12.0	मो0 कादिर हुसैन,	

12.1	धनबाद से हैदराबाद/सिकंदराबाद के लिए नयी गाड़ी चलाई जाए ।	पिछले दो अन्तर रेलवे समय सारणी बैठक (IRCTC) में यह मांग किया गया था। परन्तु रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं किया।
12.2	धनबाद से बंगलोर/यशवंतपुर के लिए सीधी गाड़ी चलाई जाए ।	पिछले दो अन्तर रेलवे समय सारणी बैठक (IRCTC) में यह मांग किया गया था। परन्तु रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं किया।
12.3	धनबाद से नई दिल्ली के लिए सीधी गाड़ी चलाई जाए ।	पिछले दो अन्तर रेलवे समय सारणी बैठक (IRCTC) में यह मांग किया गया था। परन्तु रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं किया।
12.4	अलप्पी एक्सप्रेस में हमेशा 250 से 300 प्रतीक्षा सूची रहती है इसलिए इसमें बोगियों की संख्या बढ़ायी जाए ।	गाड़ी सं. 3351/52 राउरकेला से 8189/90 एक साथ संयुक्त होकर अलपुजा तक चलती है। दोनों गाड़ियों को अलग करके धनबाद अलेप्पी एक्सप्रेस को 24 कोच से चलाने का प्रस्ताव था। परन्तु रेलवे बोर्ड द्वारा इसे भी स्वीकृत नहीं किया।
12.5	पी0 एन0 आर0 की स्थिति जानने हेतु टच स्क्रीन सुविधा की व्यवस्था धनबाद, गोमो, पारसनाथ एवं कोडरमा स्टेशन पर की जाए ।	वाणिज्य विभाग द्वारा कार्य स्वीकृत करने के पश्चात् टच स्क्रीन सुविधा की व्यवस्था उक्त स्टेशनों पर करा दी जाएगी।
12.6	पूर्वा एक्सप्रेस जो धनबाद होकर चलती है, उसे प्रतिदिन चलाया जाए ।	पूर्वा एक्सप्रेस चार दिन भाया पटना एवं तीन दिन भाया धनबाद चलती है। अतः धनबाद से होकर प्रतिदिन चलाना संभव नहीं है।
12.7	जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव गोमो में दिया जाए ।	इसके लिए रेलवे बोर्ड को लिखा गया है।
12.8	अजमेर एक्सप्रेस (गरीब नवाज) का ठहराव गोमो में दिया जाए ।	इसके लिए रेलवे बोर्ड को लिखा गया है।
12.9	पार्श्वनाथ एक्सप्रेस का ठहराव गोमो में दिया जाए ।	रेलवे बोर्ड को लिखा गया है।
12.10	धनबाद-पटना गाड़ी में चेयर कार कोच लगाया जाए ।	धनबाद-पटना और भाया गया और धनबाद- पटना भाया झांझा एक ही रैक Composition (कम्पोजीशन) से चलता है, चेयर कार लगाना संभव नहीं है।
12.11	पैसेंजर ट्रेनों में अक्सर रेल पुलिस द्वारा अवैध वसूली की जाती है इस ओर ध्यान दी जाए ।	No specific complaint has been received. However, vigilant watch is kept.
12.12	मतारी स्टेशन पर रेल ओभर ब्रिज बनाया जाए। निचितपुर को तीन लाइनों वाली, कॉसिंग स्टेशन में परिवर्तित किया जाए तथा प्रतीक्षालय एवं बुकिंग की व्यवस्था की जाए ।	मतारी ई श्रेणी स्टेशन है। जहाँ रेल लेवल प्लेटफार्म है। अतः एफओबी विचारणीय नहीं है। किस स्टेशन पर कितनी लाइनें होनी चाहिए इसे परिचालन विभाग तय करता है। निचितपुर एफ श्रेणी का स्टेशन है। अतः नॉर्स के अनुसार सुविधा उपलब्ध है।
12.13	कोडरमा स्टेशन पर स्तरीय प्रतीक्षालय बनाया जाए ।	प्रक्रियाधीन है।
12.14	पेयजल बेचने वाले लोग स्टेशनों पर पानी की व्यवस्था बाधित कर देते हैं इस ओर ध्यान दिया जाए ।	इसकी जाँच कर उचित कारवाई की जाएगी ।
12.15	जितने भी कोल डिपों हैं उसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर माओवादी दिक्कतें पैदा करते हैं ।	RPF is deployed only in Railway areas for security of Railway property. No deployment is made in Coal Dept. outside Rly. area.

13.0	श्री पं0 राजेश शुक्ला 'टिल्लू'	
13.1	आय की दृष्टि से पटना साहिब स्टेशन ए श्रेणी का स्टेशन है फिर भी इस स्टेशन पर ए श्रेणी की सुविधा नहीं है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।	आय की दृष्टि से पटना साहिब 'बी' श्रेणी का स्टेशन है । इसे आदर्श स्टेशन घोषित किया गया है तथा यहाँ तदनुरूप सभी यात्री सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं ।
13.2	पटना साहिब के दूसरे नये पुल का विस्तार बाहरी बेगमपुर तक किया जाए जिससे वहाँ के निवासी सीधे स्टेशन से बाहर निकल सकें।	इस प्रकार का प्रस्ताव मंडल के द्वारा प्रस्तावित होने पर कार्यवाई की जायेगी।
13.3	पटना साहिब स्टेशन की जलमीनार 1861 का बना हुआ है इसे तोड़ कर नया बनाया जाए।	पटना साहिब स्टेशन पर ओभर हेड टैंक का काम स्वीकृत है और निविदा का आमंत्रण किया जा रहा है।
13.4	रेलवे की लगभग 50 एकड़ जमीन बेकार पड़ी है उसका इस्तेमाल करते हुए पटना साहिब स्टेशन पर वाशिंग पिट का निर्माण करवाया जाए।	यातायात विभाग से प्रस्ताव आने पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
13.5	बख्तियारपुर से पटना के बीच 09.20 से 12.00 बजे के बीच कोई ट्रेन नहीं है। इसलिए इस अवधि में लोकन ट्रेन दी जाए।	9.20 से 12.00 बजे के बीच छ एक्सप्रेस गाड़ियां एवं तीन सवारी गाड़ियां उपलब्ध हैं। सवारी गाडी न. 503, 541 एवं 595 है।
13.6	पटना घाट लोकल पैसेंजर ट्रेन का फेरा बढ़ाया जाए ।	इस गाडी का अर्निंग बहुत ही कम है। अतः इस पर फेरा बढ़ाने का औचित्य नहीं है।
13.7	निम्न गाड़ियों का ठहराव पटना साहिब में दी जाए – क. पटना-धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस (3331/3332), ख. राजेन्द्रनगर-बोका एक्सप्रेस (3241/3242), ग. वाराणसी-राजगीर बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस (5109/5110), घ. इलाहाबाद-हावड़ा विभूति एक्सप्रेस (2333/2334), ड. जयनगर-निजामुद्दीन गरीब रथ (2569/2570).	इसके लिए रेलवे बोर्ड से पत्राचार किया गया है।
13.8	2309/2310 पटना राजधानी एक्सप्रेस का उचित रख-रखाव किया जाए । इसके कोचों में गंदगी रहती है और कॉकरोच यहाँ-वहाँ घूमते रहते हैं ।	2309/10 पटना राजधानी एक्सप्रेस की साफ सफाई के लिए यंत्रयुक्त सफाई एवं ओबीएचएस की व्यवस्था की जा चुकी है। यानों में कीटनाशक छिड़काव की व्यवस्था भी की जा चुकी है।
13.9	गाड़ियाँ समय पर चलती रहती हैं लेकिन दानापुर मंडल में जैसे ही प्रवेश करती है गाड़ियाँ चार-चार या पाँच-पाँच घंटे विलंब हो जाती है । इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।	दानापुर मंडल में कानून व्यवस्था के कारण गाड़ियों का विलम्बन अधिक होता है। इससे लाईन क्षमता में कमी आने के कारण विलम्बन होता है। इस संबंध में राज्य सरकार से सहायता मांगी गई है।
13.10	पटना जंक्शन पर रिजर्वेशन काउंटर एवं बाहरी परिसर में हमेशा लावारिस लाश कई दिनों तक पड़ी रहती है एवं चारों तरफ दुर्गन्ध फैलता है । इसके तुरंत क्रियाकर्म की	लावारिस लाशों के निस्तारण के लिए जीआरपी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है । इसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि का भुगतान जीआरपी की अनुशंसा पर अविलम्ब किया जाता है ।

	व्यवस्था होनी चाहिए ।	
14.0	मनीष कुमार	
14.1	डेहरी ऑन सोन स्टेशन 'ए' श्रेणी का स्टेशन है । इस स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर यात्री शेड की व्यवस्था की जाए । साथ ही जहाँ छोटा शेड है उसे लम्बा किया जाए ।	इसका प्रस्ताव पीडब्लूपी के वर्क्स 2011-12 में प्रस्तावित है।
14.2	डेहरी ऑन सोन के प्लेटफार्म संख्या 01 को उँचा किया जाए ।	यह कार्य लॉग बुक 2010-11 में महाप्रबंधक महोदय द्वारा रु. 12452/- के लागत का स्वीकृत है।
14.3	डेहरी ऑन सोन स्टेशन के उपरीगामी पुल को चौड़ा किया जाए ।	डेहरी-ऑन-सोन में एक नया तथा चौड़ा ऊपरी पुल बनाने का कार्य प्रारंभ होने वाला है।
14.4	डेहरी ऑन सोन-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस 3243/3244 के समय में परिवर्तन कर पहले के समयानुसार चलाया जाए । यह गाड़ी 05.30 बजे सुबह खुलती है जिसे ठंडे के समय में पकड़ना आमलोगों के लिए बड़ी कठिनाई पैदा करती है । इसे 06.00 बजे सुबह से चलाया जा सकता है ।	पहले इस गाड़ी का ठहराव बहुत ही कम स्टेशन पर था। अब इसका ठहराव अधिकतम स्टेशनों पर जनता की मांग पर कर दिया गया है। अतः इसे 6.00 बजे प्रातः चलाना संभव नहीं है।
14.5	डेहरी स्टेशन पर प्रायः दो बुकिंग काउन्टर ही कार्यरत है । इससे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है । इसलिए प्रत्येक पाली में चार बुकिंग काउन्टर खोलने की व्यवस्था की जाए ।	डेहरी स्टेशन पर प्रत्येक पाली में सामान्यतः 03 बुकिंग काउन्टर चलाये जाते हैं जो कि प्रत्येक पाली में निर्गत होने वाली टिकटों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त है । भीड़ के मौसम में आवश्यकतानुसार 04 काउन्टर भी चलाये जाते हैं।
14.6	डेहरी ऑन सोन स्टेशन पर रात में समुचित लाईट की व्यवस्था की जाए ।	डेहरी ऑन सोन स्टेशन पर रात में लाइट की व्यवस्था हेतु डीजल जेनरेटर एवं ए0टी0 (Traction Power) द्वारा कनेक्शन दिया गया है।
14.7	डेहरी में पाँच महीने से डाक्टर नहीं हैं वहाँ ईलाज की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर जल्द से जल्द रेलवे अस्पताल में डाक्टर की व्यवस्था की जाए ।	डेहरी में पूर्व में डॉक्टर की साप्ताहिक प्रतिनियुक्ति थी एवं इलाज की समुचित व्यवस्था भी है। वर्तमान में डॉक्टर की पदस्थापना कर दी गई है।
15.0	श्री अभिषेक गुप्ता,	
15.1	मोतिहारी स्टेशन के सप्तकांति एक्सप्रेस में नशाखुरानी की घटना बढ़ रही है । यह काम ज्यादातर अवैध वेंडरों द्वारा किया जाता है । इसलिए इसे रोका जाना चाहिए तथा पीड़ितों की इलाज की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ।	Instructions have been issued to concerned Inspector. नशाखुरानी से पीड़ित यात्रियों के उपचार हेतु पू.म.रे. के अस्पतालों में समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।
15.2	कुलियों का चार्ज लिस्ट स्टेशनों पर लगाया जाना चाहिए ।	कुलियों को देय निर्धारित कुली-दर तालिका मंडल के उन सभी स्टेशनों पर प्रदर्शित है जहाँ कुलियों की सुविधा उपलब्ध की गयी है ।
15.3	चेन पुलिंग पर रोक लगायी जाए ।	As per availability, RPF/RPSF staff are deployed for escorting of affected trains.

पूर्व मध्य रेल

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की प्रस्तावित उप-विधि

1.0. प्रस्तावना :

1.1 रेल उपयोगकर्ता का बेहतर एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने, पूर्व मध्य रेल प्रशासन और उपयोगकर्ताओं के बीच इस रेल द्वारा प्रदत्त सेवा से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श के अधिक अवसर उपलब्ध कराने एवं सेवा की दक्षता में सुधार हेतु पूर्व मध्य रेल के प्रधान कार्यालय, हाजीपुर में क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति बनाई गई है, (जिसे अब से जेड.आर.यू.सी.सी. कहा जाएगा) साथ ही दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर के मंडल मुख्यालयों में पाँच डी.आर.यू.सी.सी. भी गठित की गई है।

1.2 क्षेत्र.उप.स. का उद्देश्य : जेड.आर.यू.सी.सी. के गठन का उद्देश्य स्टेशनों और गाड़ियों दोनों पर यात्री-सुविधाओं को रेलवे उपयोगकर्ताओं के लिए यथासंभव लाभदायक बनाने के लिए सदस्यों के परामर्श से जनमत प्राप्त करने का प्रावधान करना, और इस प्रकार रेलवे प्रशासन को जनमत और आवश्यकता के अनुरूप पूर्णतः सही एवं शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना है ताकि रेलवे के पास उपलब्ध संसाधनों का सही दिशा में अधिकतम उपयोग हो सके और बिना अतिरिक्त खर्च के अधिक वांछित काम पूरा किया जा सके।

2.0. समिति का गठन :

2.1 जेड.आर.यू.सी.सी. में इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य क्षेत्र में सामान्य रेलवे उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधित्व हेतु माननीय रेल मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे जिसे नीचे दर्शाया गया है :-

2.1.1 (क) केवल 10 संसद सदस्य (07 लोक सभा और 03 राज्य सभा) नामित किए जाएंगे।

(ख) जेड.आर.यू.सी.सी. में प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र जो पूर्व मध्य रेल सेवित क्षेत्र में स्थित हो प्रतिनिधित्व हेतु उनके द्वारा नामित व्यक्ति।

2.1.2 इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित प्रत्येक विधान मंडल का एक सदस्य।

2.1.3 इस रेलवे द्वारा सेवित प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जैसा कि उस सरकार द्वारा अनुशंसित हो।

2.1.4 प्रमुख चेम्बर ऑफ कामर्स के अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधि तथा/या जिस व्यापार संघ का स्थायित्व पांच साल से कम न हो।

2.1.5 राज्य सरकार अथवा सरकारी कृषि संगठन एवं अन्य निकायों के दो से अधिक प्रतिनिधि नहीं, जो उपर्युक्त 2.1.4 में उल्लिखित चेम्बर आफ कामर्स से संबद्ध या शामिल नहीं हैं।

2.1.6 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक एक या दो पंजिकृत यात्री संगठनों का एक प्रतिनिधि।

- 2.1.7 "विशेष हित" (स्पेशल इन्टरेस्ट) के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए रेलवे के महाप्रबंधक की सिफारिश पर नामित एक सदस्य।
- 2.1.8 माननीय रेल मंत्री द्वारा "विशेष हित" (स्पेशल इन्टरेस्ट) के रूप में नामित आठ सदस्य।
- 2.1.9 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत उपयोगकर्ता संरक्षण स्वैच्छिक संगठन (कंज्यूमर प्रोटेक्शन वालन्टरी आरगेनाइजेशन) का एक प्रतिनिधि।
- 2.1.10 इस रेलवे के प्रत्येक मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से चुने हुए एक गैर सरकारी प्रतिनिधि।
- 2.2 जिन व्यक्तियों के पास रेलवे से जुड़े मुनाफे का कार्यभार जैसे खानपान एवं बिक्री ठेकेदारों आउट एजेन्सी ठेकेदारों, हैंडलिंग ठेकेदारों, इन्जीनियरिंग ठेकेदारों सहित ट्रेवलिंग एजेंसियों अथवा वे, जो मालगोदाम पार्सल कार्यालयों आदि के साथ दिन-प्रतिदिन के काम में घनिष्ट और सीधे जुड़े हैं, जैसे फारवर्डिंग एजेंटों आदि क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति एवं राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य हैं।
- 2.2.1 यदि किसी सदस्य को विशेष हित की कोटि के अन्तर्गत मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति और क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति दोनों के लिए नामित किया जाता है तो इस व्यक्ति की सदस्यता केवल एक ही समिति अर्थात् मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में ही मान्य होगी तथा क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से उनका नामांकन रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- 2.3 पूर्व मध्य रेल क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित राज्य होंगे - 1. बिहार, 2. उत्तर प्रदेश 3. झारखंड और 4. मध्य प्रदेश
- 2.4 महाप्रबंधक समिति के अध्यक्ष होंगे तथा उप महाप्रबंधक (सा.), पूर्व मध्य रेलवे समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- 2.5 उद्योग, वाणिज्य और व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य महत्वपूर्ण स्थानीय चैम्बरों या प्रमुख व्यापार हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों से सामान्यतया लिए जाते हैं जिसे संबंधित राज्य सरकारों का अनुमोदन प्राप्त होता है। चैम्बर तथा/या संघों और अन्य के प्रतिनिधित्व के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् उक्त संगठनों को उनका/उनके प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के नाम नामित करने की सलाह दी जाएगी। यह उक्त चैम्बरों/संघ के विवेक पर है कि प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा हो या किसी अन्य तरीके से।
- 2.6 क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा जो इसके गठन की तिथि से दो वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2.7 सदस्यों का वर्गीकरण
- 2.7.1 सरकारी सदस्य, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि "सरकारी सदस्यों" की कोटि में आएंगे।
- 2.7.2 गैर सरकारी सदस्य : उपर्युक्त पैरा 2.7.1 में दिये गए सदस्यों के अलावा बाकी सभी सदस्यों को सभी प्रयोजन के लिए गैर सरकारी सदस्य समझा जाता है।

3.0 कार्य संबंधी शर्तें:

- 3.1 प्रधान कार्यालय स्थित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति इस रेलवे द्वारा सेवित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रेल उपयोगकर्ता का प्रतिनिधित्व करेगी और निम्न से संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है :-
- 3.1.1 रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में यात्री या मालभाड़ा से संबंधित सुविधाओं का प्रावधान।
- 3.1.2 समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नए स्टेशनों के खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव।
- 3.1.3 समय सारणी संबंधी व्यवस्थाएं।
- 3.1.4 रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार।
- 3.1.5 सामान्य लोकहित या सार्वजनिक सुविधा या सुविधाओं से जुड़े ऐसे मामले जो उपयोगकर्ता के प्रतिवेदन का विषय रहा हो, से संबंधित कोई विषय।
- 3.2 मंडल समितियों के रिपोर्टों से उत्पन्न मामले या ऐसे अन्य मामले जो उपर्युक्त मद (3.1.1 से 3.1.5) में उल्लिखित विषयों से संबंधित हैं, जो विशेष रूप से मंडल समितियों द्वारा विचारार्थ अग्रसारित किए जाते हैं।
- 3.2.1 प्रशासन रेल मंत्रालय अथवा राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (एन. आर. यू. सी. सी.) की रिपोर्ट और विचारार्थ भेजे गए मामले।
- 3.2.2 रेलवे दरों (भारिक शुल्क को छोड़कर) और किराए से संबंधित मामले एवं कर्मचारी से संबंधित मामले, अनुशासनात्मक कार्यवाही और नियुक्ति आदि से संबंधित प्रश्न समिति के समक्ष विचारार्थ नहीं लाए जाएंगे।
- 3.3 इन नियमों के तहत गठित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की प्रकृति पूर्णतः परामर्शदात्री ही होगी।

4.0 समिति की बैठक :

- 4.1 एक वर्ष में तीन बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- 4.2 किसी विषय में सूचना जिसे कोई सदस्य विचार के लिए करना चाहते हों, वे बैठक के निर्धारित तिथि के न्यूनतम 45 (पैंतालिस) दिन पहले समिति के सचिव के पास अवश्य भेज दें। फिर भी, अत्यावश्यक विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति/सहमति से विचार-विमर्श किया जा सकता है।
- 4.3 समिति की बैठक आयोजित करने के लिए कोई निर्धारित कोरम नहीं है।

5.0 चुनाव :

- 5.1 प्रत्येक अवधि के लिए रा.रे.उ.प.स. (एन.आर.यू.सी.सी.) में प्रतिनिधि भेजने के लिए गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होगा। समिति पूर्णरूपेण गठित होने के बाद ही इस प्रकार का चुनाव होना चाहिए।
- 5.1.1 रा. रे. उ. प. स. के चुनाव तभी होंगे जब प्रत्येक म.रे.उ.प.स. से चुनाव द्वारा अपना एक-एक प्रतिनिधि क्षे. रे. उ. प. स. में भेज दिया गया हो।
- 5.2 पैरा 2.7.2 में वर्गीकृत गैर-सरकारी सदस्य ही रा. रे. उ. प. स. एवं उप रे. उ. प. स. में प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षे. रे. उ. प. स. के चुनाव में खड़ा होंगे।
- 5.2.1 केवल गैर-सरकारी सदस्य ही उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मतदान के योग्य होंगे।
- 5.2.2 अन्य सदस्यों द्वारा विधिवत् प्रस्तावित एवं अनुशासित इच्छुक सदस्य द्वारा ही रा. रे. उ.प.स. के लिए चुने जाने हेतु नामांकन पत्र भरे जायेंगे।

- 5.2.3 कोई भी सदस्य, जो स्वयं चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हो, इसी उद्देश्य के लिए किसी एक दूसरे सदस्य का प्रस्ताव/अनुशंसा कर सकता है।
- 5.2.4 प्रक्रिया संबंधी हुई त्रुटि जैसा कि पैरा 5.2.2 एवं 5.2.3 में उल्लिखित है, यदि नामांकन पत्र जाँच करते समय पता चलता है तो नामांकन रद्द माना जायेगा।
- 5.3.1 माननीय संसद सदस्य, विभिन्न राज्यों के माननीय विधान सभा सदस्य जो किसी रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शकर्ता समिति यथा क्षेत्र.उ.प.रा. एवं एन.आर.यू.सी.सी. में चुने जाने के हकदार नहीं होंगे, जिसमें उनके सीधे नामांकन के लिए पहले से ही प्रावधान है।
- 5.4 इस उद्देश्य के लिए चुनाव संपन्न कराने हेतु अध्यक्ष, पहले ही पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए किसी एक अधिकारी को भी नियुक्त करेंगे।
- 5.4.1 मतदान का परिणाम अनिर्णित रहने पर समिति के अध्यक्ष चुनाव को निर्णायक बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

6.0 परिचय पत्र :

- 6.1 परिचय पत्र जारी करने के लिए सभी सदस्यों द्वारा दो स्टाम्प साइज फोटोग्राफ जमा किया जाना चाहिए।
- 6.1.1 सदस्यों को जारी किया गया परिचय पत्र निःशुल्क रेलवे पास के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
- 6.2 परिचय पत्र के खो जाने पर क्षेत्र.उ.प.स. के सदस्यों द्वारा प्राथमिक सूचना रपट (एफ.आई.आर.) की एक प्रति के साथ इस संबंध में आवेदन दिया जाना चाहिए। रेलवे उन्हें एक नया परिचय पत्र जारी करेगी जिस पर डुपलीकेट अंकित होगा।
- 6.3 सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाने पर सदस्यों को अपना परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए। यदि कार्य अवधि के पहले ही समिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भंग कर दी जाती है तो भी सदस्यों को अपने परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए।

7.0 परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) :-

- 7.1 जब कभी भी रेलवे द्वारा परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) का आयोजन किया जायेगा केवल गैर-सरकारी सदस्य ही उसमें भाग लेने के योग्य हैं।
- 7.2 अत्यावश्यक समझे जाने पर विश्रामगृह/विश्रामागार की व्यवस्था परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) के समय निःशुल्क की जाएगी।
- 7.3 यदि पर्याप्त संख्या में सदस्य यात्रा में सहभागी बनने के लिए अपनी पूर्व सहमति दे देने के बाद नहीं आते हैं तो सदस्यों की उपस्थिति के आकार को देखते हुए यात्रा की तिथि के दिन यात्रा को रद्द कर देने का अधिकार रेलवे प्रशासन के पास सुरक्षित है ताकि व्यर्थ व्यय से बचा जा सके। रथगन के निर्णय पर विचार-विमर्श अगली बैठक में की जानी चाहिए।

8.0 बैठक के समय सदस्यों के लिए सामान्य सुविधाएँ :

- 8.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए गए दूरवर्ती सदस्यों के लिए सिर्फ तीन दिनों के लिए ही (बैठक के पहले दिन, बैठक का दिन तथा बैठक के बाद का दिन) बैठक-स्थल के निकटतम स्टेशन पर रेलवे रिटाररिंग रूमों/विश्रामगृहों में निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी तथा रहने की व्यवस्था में किसी प्रकार की बढ़ोतरी स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा रेल प्रशासन द्वारा जगह की अनुपलब्धता की स्थिति में उपयुक्त/उपलब्ध होटलों में की जायेगी।
- 8.2 बैठक में उपस्थित होने के लिये आये सदस्यगण, विश्रामगृह/रिटाररिंग कक्षों/होटलों में ठहरने के दौरान खान-पान सेवाओं का लाभ केवल स्वयं भुगतान करके ही उठा सकते हैं।
- 8.3 सदस्यों के लिए ठहरने के स्थान से बैठक-स्थल तक आने एवं जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है।

9.0 यातायात सुविधाएँ :

9.1 गैर-सरकारी सदस्यों के लिए :

- 9.1.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए जाने पर गैर-सरकारी सदस्यों को अपने गृह-स्थान (होम स्टेशन) से सिर्फ बैठक-स्थल तक पहुँचने तथा वापसी की यात्रा के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/॥ वातानुकूलित दर्जे (राजधानी एवं शताब्दी गाड़ियों को छोड़कर) के पास जारी किये जाएंगे।
- 9.1.2 प्रथम श्रेणी/॥ वातानुकूलित श्रेणी के लिए जारी इस तरह के पास पर एक परिचायक को द्वितीय श्रेणी/शयनयान में ले जाने की सुविधा होगी।
- 9.1.3 यदि कोई सदस्य प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करना चाहें तो उन्हें जैसा देय होगा, भाड़े का अन्तर देना होगा (राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के किसी श्रेणी को छोड़कर)।
- 9.1.4 पहले से विद्यमान पास-नियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार मार्गस्थ यात्रा भंग करने की अनुमति है। इस उद्देश्य के लिए कोई भी अतिरिक्त यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9.1.5 उन स्थानों के लिए जो रेल-हेड से जुड़े हों, विमान यात्रा अनुमेय नहीं है। उन स्थानों के लिए जो रेल-हेड से जुड़े न हों, सदस्य के निवास से निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल-हेड तक विमान यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। फिर भी, यदि निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल-हेड तक का हवाई किराया और निकटतम रेल-हेड से बैठक स्थल के बीच के रेल किराए (2 वाता.) का कुल योग निवास स्थान के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक के कुल हवाई किराये से अधिक हो, तो सदस्य के निवास के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल तक हवाई किराये की अनुमति दी जा सकती है।
- 9.1.6 यदि कोई सदस्य वैसे स्थान पर रह रहे हों जो रेल-हेड से नहीं जुड़ा हो और निकटतम रेल-हेड तक समुद्री मार्ग के साथ ही हवाई मार्ग से भी पहुँचा जा सकता हो तब सदस्य को परिवहन के वैसे साधन से यात्रा करने की अनुमति होगी जिसका किराया कम हो।

9.1.7 रेलवे स्थापना (इस्टेब्लिशमेंट) के निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को कोई अतिरिक्त पास नहीं जारी किया जाएगा।

9.2 सरकारी सदस्यों के लिए :

9.2.1 सिर्फ बैठक-स्थल तक पहुँचने तथा वापसी हेतु राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्योगों के प्रधान कार्यालयों से सरकारी सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के पास जारी किए जा सकते हैं।

9.3 राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए :

9.3.1 अपने गृह स्थान (होम स्टेशन) से बैठक स्थल तक यात्रा करने हेतु विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के लिए पास जारी किए जा सकते हैं।

9.4 संसद सदस्यों के लिए :

9.4.1 एक संसद सदस्य/सदस्या अपने लिए जारी पहचान कार्ड-सह रेलवे पास का उपयोग कर साधारणतः रेल द्वारा ही यात्रा करेंगे/करेंगी। वे अपनी मर्जी से विमान द्वारा भी यात्रा कर सकते/सकती हैं। फिर भी, सामान्य रूप से विमान यात्रा का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए तथा इस तरह की यात्रा करने के लिए कारकों यथा-कार्य की अत्यावश्यकता यात्रा की जाने वाली दूरी, अपने कार्य-निष्पादन के लिए समय इत्यादि का ध्यान सदस्य/सदस्या को रखनी चाहिए तथा जहाँ विमानों में दो श्रेणियों यथा-प्रथम एवं मितव्ययी (पर्यटक) श्रेणी, उपलब्ध हों, एक संसद सदस्य/सदस्या प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते/सकती हैं।

9.4.2 संसद सदस्य/सदस्या के लिए सामान्यतः कोई पास जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें पहचान कार्ड-सह-रेलवे पास दिया गया है फिर भी उनकी ओर से समिति या उसकी उप समिति में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी मानार्थ पास जारी करने के विशेष अनुरोध पर ऐसा किया जा सकता है, यदि पहचान कार्ड-सह-रेलवे पास खो जाने की सूचना दी गई हो।

9.4.3 जहाँ कोई सदस्य संसद के सदन के सत्र अथवा किसी समिति की बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा सदस्य के रूप में अपने ड्यूटी से संबंध किसी अन्य कार्य करने के उद्देश्य से अपने सामान्य निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से अथवा ऐसे स्थान तक वापसी यात्रा करता है, तो वह की गई वास्तविक यात्रा अथवा अपने सामान्य निवास स्थान से या तक यात्रा, जो भी कम हो, के लिए यात्रा भत्ता आहरित कर सकता है।

9.5 परिचर की परिभाषा :

9.5.1 'परिचर' शब्द की परिभाषा यह है कि एक व्यक्ति जो पास धारक की व्यक्तिगत सेवा में वेतन पर नियोजित किया गया हो। इसमें पूरे समय वाले घरेलू कर्मचारी शामिल हैं यथा - बेयरा, खनसामों (बटलर), रसोइया, आया इत्यादि। लेकिन इसमें शिक्षक, दर्जी, धोबी इत्यादि या पास धारक का कोई संबंधी, जो नौकर की तरह कार्य कर रहा हो, शामिल नहीं है।

9.6 सामान्य यात्रा सुविधाएँ :

- 9.6.1 समिति की बैठकों में भाग लेने या समिति के अन्य कार्य के लिए सदस्यों को 'अस्थायी' निवास के निकटतम रेलवे स्टेशन से पास जारी करने हेतु उनके अनुरोध को गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जा सकता है तथा महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन से पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि अस्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के नीचे की दूरी स्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के बीच की दूरी से कम हो।
- 9.6.2 निवास स्थान के अतिरिक्त भी किसी स्टेशन तक वापसी यात्रा के लिए पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि बहिर्यात्रा के लिए जारी पास के स्टेशन की दूरी से वह दूरी (वापसी यात्रा की) कम हो।

10.0 यात्रा एवं दैनिक भत्ते :

10.1 गैर-सरकारी सदस्यगण :

- 10.1.1 सदस्य के निवास स्थल के निकटतम रेलवे स्टेशन तथा बैठक स्थल के बीच तथा उसके विपरीत क्रम में यात्रा करने में लगे कोई भी कैलेण्डर दिन या एक से अधिक दिन के लिए पाकेट खर्च में से बैठक की अवधि के दौरान प्रतिदिन रु0 120/- की दर से दैनिक भत्ता तथा रु0 50/- प्रतिदिन के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाएगा। पाकेट भत्ता में से रु0 50/- उस दिन या उन दिनों के लिए नहीं दिया जाएगा जिस दिन के लिए रु0 120/- के रूप में दैनिक भत्ता देय है।
- 10.1.2 यदि निकटतम रेलवे स्टेशन से निवास स्थान की दूरी 8 किमी. से अधिक है, तो प्रति किमी. 4/- (चार रुपये) अधिकतम के हिसाब से निवास स्थान तथा रेलवे स्टेशन के बीच की यात्रा के लिए वास्तविक पाकेट खर्च के रूप में दिया जायेगा।
- 10.1.3 शहर जिसमें बैठक हो रही है, के किसी कोने में रहने वाले क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के स्थानीय गैर-सरकारी सदस्य "ए" एवं "बी" श्रेणी के शहर के लिए वास्तविक वाहन किराया प्रभार अथवा 100/- रु0 प्रतिदिन जो भी कम हो, एवं अन्य "सी" श्रेणी के शहरों के लिए वास्तविक वाहन प्रभार अथवा 75/- रु0 प्रतिदिन जो भी कम हो, भुगतान के पात्र होंगे। तथापि, उन्हें कोई दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

10.2 सरकारी सदस्य :

- 10.2.1 समिति के सरकारी सदस्य पैरा 10.1.1 एवं 10.1.2 में वर्णित भत्तों के हकदार नहीं होंगे। इस सदस्यों को यात्रा भत्ता उनके अपने नियमों के अनुसार दिया जाएगा और उनके संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा वहन किया जायेगा।

10.3 विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों :

- 10.3.1 क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में नामित राज्य विधायिका के सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (सुविधा भत्ता सहित) संबंधित राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियम के अंतर्गत दिया जाएगा और राज्य विधायिका माना जाएगा।

और राज्य विधायिका के सत्र के दौरान वे अपने संबंधित वेतन और भत्ता भुगतान तथा रिमुवल ऑफ सिक्वालिफिकेशन अधिनियम के अंतर्गत निर्देशित होंगे। फिर भी इन सदस्यों को उनके निवास स्थान के निकटतम स्टेशन से बैठक स्थल पर आने एवं वापसी यात्रा हेतु प्रथम श्रेणी पास जारी किया जा सकता है। यदि विधायिका के सदस्य ऐसा अनुरोध करते हैं तो संबंधित उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक स्थल से उस शहर के स्टेशन तक जहाँ विधान सभा स्थित है, की वापसी यात्रा हेतु भी पास जारी किया जा सकता है। राज्य विधायिका के सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (सुविधा भत्ता सहित) की निकासी नहीं करेंगे, जो उन्हें राज्य विधायिका के सदस्य के अयोग्य बना सकता है।

10.3.2 किसी भी ऐसे दिन के लिए जिसके लिए सदस्य, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य के रूप में अपने दैनिक भत्ता के हकदार हैं, दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

10.3.2.1 बैठक के स्थान एवं उनके निवास स्थान के निकटस्थ रेलवे स्टेशन के बीच और उसी प्रकार दूसरी ओर से वापसी के तहत यात्रा में लगे दिनों की संख्या की गणना यात्रा भत्ता के रूप में की जाएगी तथा सदस्य द्वारा किये गये वास्तविक व्यय की प्राप्ति तक वापसी सीमित होगी। इस उद्देश्य के लिए सदस्य के दावे के साथ निम्नलिखित के संबंध में एक समुचित प्रमाण पत्र संलग्न होगा :

“प्रमाणित किया जाता है कि क्षेत्र.उ.प.स. के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वाह में मेरे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जिसके लिए यात्रा भत्ता/परिवर्तन भत्ता का इस बिल में दावा किया गया है, वह दावा की गयी राशि से कम नहीं था।”

सदस्य विधान सभा/सदस्य विधान परिषद का हस्ताक्षर

10.4 संसद सदस्य :

10.4.1 संसद सदस्य के पक्ष में निर्गत किया गया पहचान-पत्र-सह-रेलवे पास का उपयोग कर वे रेल द्वारा साधारणतया यात्रा करेंगे। वे अपने विवेकानुसार वायुयान द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। यदि वायुयान द्वारा यात्रा किया जाता है, तो आउट ऑफ पाकेट खर्च स्वरूप ऐसी यात्रा हेतु वायुयान भाड़ा का एक एवं एक चौथाई के बराबर की राशि के लिए सदस्य हकदार होंगे।

10.4.2 समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए संसद सदस्य रेल की अपेक्षा सड़क द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। ऐसे मामले में संसद सदस्य 8.00 रु० प्रति कि. मी. की दर से रोड मील-भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। यात्रा भत्ता की जगह जो उनको स्वीकार्य रहा हो यदि वे रेल द्वारा यात्रा करते, बशर्ते कि सम्पूर्ण यात्रा के लिए ऐसे सदस्य द्वारा लिये गये यात्रा भत्ता की कुल राशि से उक्त राशि अधिक नहीं होगी जो उनके लिए स्वीकार्य रहा होगा, अगर वे रेल द्वारा यात्रा कर चुके होते।

10.4.3 यदि संसद सदस्य रेल द्वारा यात्रा करते हैं तो बैठक का स्थान एवं निवास स्थान से आउट ऑफ पाकेट खर्च के रूप में इकहरी द्वितीय श्रेणी भाड़ा और इकहरी यात्रा प्रथम श्रेणी भाड़ा के बराबर की राशि यात्रा भत्ता स्वरूप भुगतान किया जाना चाहिए बिना इस बात पर ध्यान दिए कि सदस्य ने किस श्रेणी में यात्रा की।

10.4.4 बैठक की अवधि के दौरान रु० 500/- प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता।

- 10.4.5 बैठक के दिन/दिनों में इस दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, सदस्य बैठक को कार्यवाही के दो दिन पूर्व और बैठक समापन के दो दिन बाद हेतु दैनिक भत्ता के लिए हकदार होंगे, यदि वे इन दिनों में बैठक के स्थान पर वास्तव में ठहरते हैं।
- 10.4.6 किसी भी ऐसे दिन के लिए दैनिक भत्ता का भुगतान देय नहीं है जिस दिन संसद सदस्य एक संसद सदस्य के रूप में अपना दैनिक भत्ता पाने के हकदार है।
- (ए) यदि यात्रा हवाई मार्ग से की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए हवाई यात्रा भाड़े के $1\frac{1}{4}$ के बराबर धनराशि।
- (बी) यदि यात्रा या उसका कोई भाग रेल या हवाई मार्ग से नहीं की जा सकती हो।
- (I) जहाँ यात्रा या उसका कोई भाग स्टीमर से किया जाए तो स्टीमर में उच्चतम श्रेणी की ऐसी प्रत्येक यात्रा या उसके किसी भाग के लिए भाड़े के (आहार रहित) $1-3/5$ के बराबर की धनराशि अथवा, यदि नियमित स्टीमर सेवा विद्यमान न हो तो ऐसी यात्रा अथवा उसके किसी भाग के लिए ऐसी धनराशि जैसा कि संसद अधिनियम, 1945 के वेतन, भत्ते और पेंशन की धारा 9 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित हो।
- (II) जहाँ यात्रा या उसका कोई भाग सड़क मार्ग से किया जाए तो ऐसी यात्रा या उसके किसी भाग के लिए 8 रु. (आठ रुपये मात्र) प्रति किलोमीटर की दर से रोड माइलेज (सड़क मील भत्ता)
- (III) आगे पुनः यह कि जब कोई सदस्य दिल्ली में सड़क मार्ग से हवाई अड्डे से और हवाई अड्डे तक यात्रा करता है तो ऐसी प्रत्येक यात्रा के लिए न्यूनतम रु. 120/- (एक सौ बीस रुपये मात्र) भुगतान किया जाएगा।
- 10.4.7 आउट ऑफ पाकेट भत्ता (यथा बैठक स्थल एवं अपने निवास स्थान से निकटस्थ रेल स्टेशन एवं उसी प्रकार वापसी के बीच इकहरी प्रथम श्रेणी भाड़ा और इकहरी द्वितीय श्रेणी भाड़ा के समतुल्य राशि) संसद सदस्य द्वारा की गयी वास्तविक खर्च की पूर्ति तक सीमित होगी। इस उद्देश्य हेतु संसद सदस्य के दावे में निम्नलिखित समुचित प्रमाण पत्र संलग्न होंगे।

“प्रमाणित किया जाता है कि क्षे. रे. उ. प. स. के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वाह में मेरे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जिसके लिए यात्रा भत्ता/परिवर्तन भत्ता का इस बिल में दावा किया गया है, वह दावा की गयी राशि से कम नहीं था।”

संसद सदस्य का हस्ताक्षर

- 10.4.8 उपर्युक्त नियमों के तहत जहाँ वास्तविक खर्च की राशि उच्चतम देय राशि की अपेक्षा कम हो तो भत्ते की राशि को वास्तविक खर्च की राशि तक कम कर दी जाय जिसे पैरा 10.4.7 में उल्लेख के अनुसार प्रमाणित किया जा सकता है।
- 10.4.9 संसद सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य इस समिति की बैठक आदि के संबंध में उनके द्वारा वास्तविक रूप में की गयी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता के पात्र हैं।
- 10.4.9.1 संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद के सदन के सत्र में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा किसी समिति की बैठक अथवा सदस्य के रूप में अपनी ड्यूटी से संबद्ध किसी अन्य कार्य को करने के लिए भारत में उनके द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिए उनके सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहाँ अथवा बैठक आयोजित होनी है अथवा अन्य कार्य सम्पादित किए जाने हैं और ऐसे स्थान से सामान्य निवास तक वापसी यात्रा के लिए भुगतान किया जाएगा।

10.4.9.2 समिति की बैठक आदि के स्थान तक संसद/राज्य विधान मंडल की बैठक के स्थान से और वापसी यात्रा हेतु, यदि संसद/राज्य विधान मंडल के सत्र में भाग लेने के समय वहाँ से बैठक में जाने और वहाँ से वापसी यात्रा की जाए।

11.0 अनुपालन के लिए मार्गदर्शन :

11.1 अधिसूचित गैर-सरकारी समितियों के सदस्यों के पदनाम जो उनके पत्र शीर्ष लेटर हेड/विजिटिंग कार्ड आदि पर मुद्रित हों वे पूरी तरह से उनके नामांकन पत्र के अनुसार होने चाहिए।

11.2 उन्हें अपने पत्र शीर्ष (लेटर हेड) स्टैट्स, क्रेस्ट्स, बैजों, हाउस फ्लैग या अन्य उद्देश्य हेतु सरकारी अनुमति के बिना सरकारी प्रतीकों के उपयोग की अनुमति नहीं है।

12.0 सदस्यता का निरस्तीकरण :

12.1 इस आशय की सूचना मिलने पर कि किसी सदस्य/सदस्यों के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है या कोई सदस्य आपराधिक कार्यवाही में विधि न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों की सदस्यता सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करके निरस्त कर दी जाएगी।

12.2 सदस्य/सदस्यों की ओर से की गई कोई कार्रवाई रेलवे के हित में नुकसान देय पायी जाने पर उनकी सदस्यता/सदस्यताएँ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जप्त कर ली जाएगी।

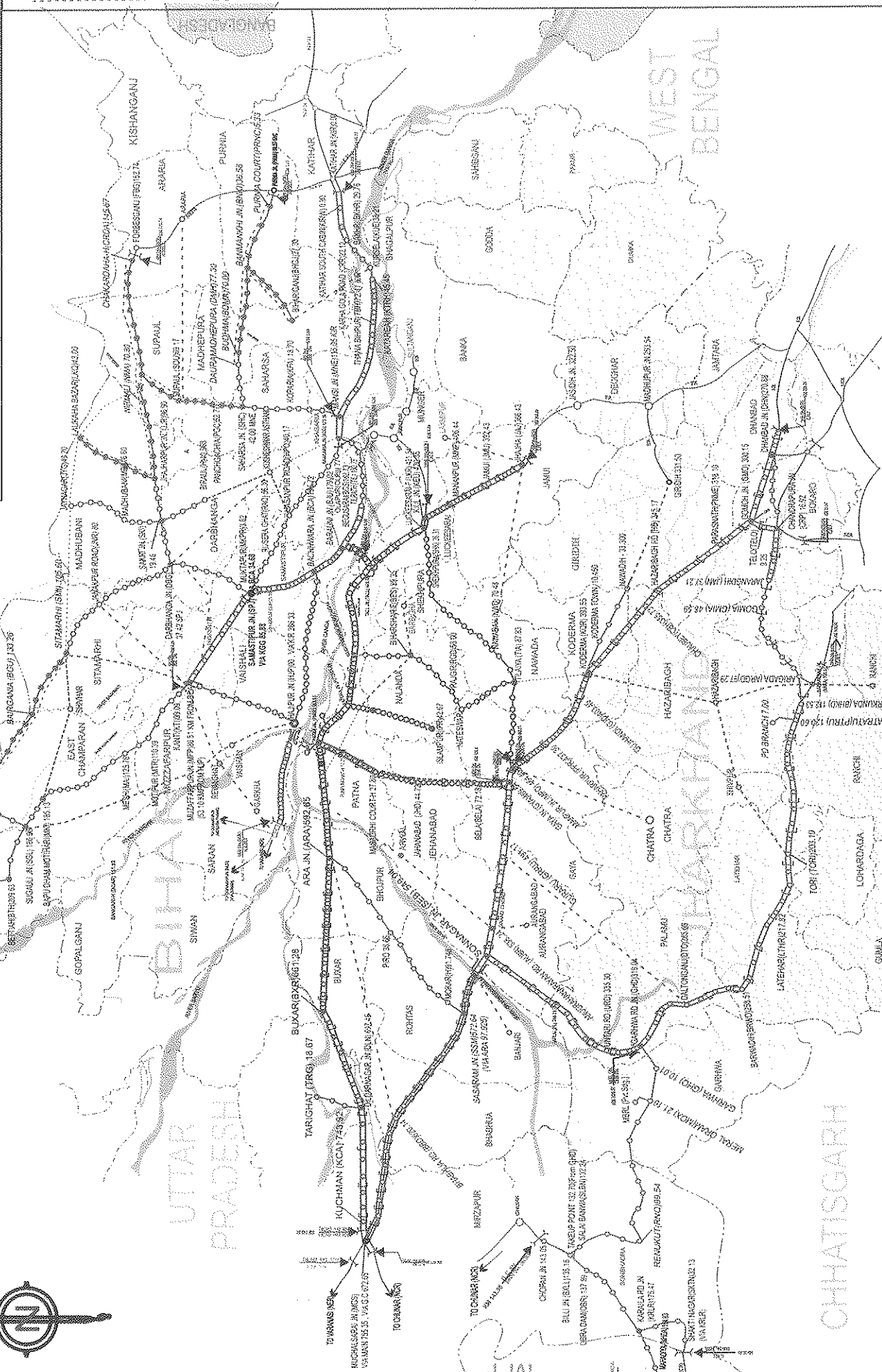
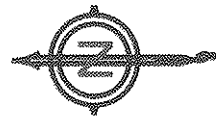
13.0 माननीय संसद सदस्यों/विधायकों/विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति।

13.1 वैसे माननीय सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य जो जेड.आर.यू.सी.सी. समिति के अवधि के पहले ही संसद सदस्य/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य नहीं रह जाएंगे। उनकी सदस्यता समाप्त हो जायगी।

* * * * *



पूर्व मध्य रेल को सक्षित मनीय
NETWORK PLAN
OF
EAST CENTRAL RAILWAY
CORRECTED UPTO 31st MARCH '2010



- QUADRUPLEX CONVERSION FROM MG TO BG
- DOUBLING IN PROGRESS
- MEGA BRIDGES IN PROGRESS
- RIVER
- MODEL STATIONS
- DIVISIONAL BORDER
- IMPORTANT STATIONS AND JUNCTIONS
- RAILWAY DIVISIONAL HEADQUARTERS
- RAILWAY ZONAL HEADQUARTERS

- BROAD GAUGE SINGLE LINE
- BROAD GAUGE DOUBLE LINE
- BROAD GAUGE MULTIPLE LINE
- METRE GAUGE SINGLE LINE
- DISTRICT BOUNDARIES
- STATE BOUNDARIES
- INTERNATIONAL BOUNDARY
- OTHER RAILWAY
- ELECTRIFIED LINE SINGLE, DOUBLE B.G.
- UNDER CONSTRUCTION BROAD GAUGE SINGLE LINE

